संख्याः–4328 / 9–5–08–153 सा / 2008

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2008

विषयः– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले गरीब लोगों को आवासीय समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है। शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उपर्युक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि शहरी गरीब नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा सुनियोजित रूप से उपलब्ध करायी जाय। वर्ष 2008–09 में एक लाख, दो कमरों के पक्के आवास शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो निम्न सुविधाओं से युक्त होंगेः–

1. सड़क
2. बिजली
3. पेयजल
4. स्वच्छ शौचालय

यह योजना चरणबद्ध ढंग से लागू की जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 71 जनपद मुख्यालयों में इस योजना का कियान्वयन किया जायेगा जिससे छोटे जनपदों में 1000 आवासों का निर्माण किया जायेगा तथा जनसंख्या की दृष्टि से बड़े जनपदों में 1500 आवासों का निर्माण किया जायेगा। इस योजना के दूसरे चरण में प्रदेश की शेष सभी नगरपालिकाओं की जनसंख्या के आधार पर पुनः उपरोक्तानुसार दो भागों में बांटकर योजना का कियान्वयन 02 वर्षों में किया जायेगा। इस योजना के तीसरे चरण में प्रदेश की सभी नगर पंचायतों को इस योजना के 02 वर्षों के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा जिनमें निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर उपरोक्तानुसार किया जायेगा। इस प्रकार 05 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक–एक लाख आवासों का निर्माण इस योजना के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

यह आवास सर्व समाज के गरीब लोगों के लिए निम्न प्राथमिकताओं के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे:–

1. निराश्रित विधवा
2. निराश्रित विकलांग
3. गरीबी रेखा (बी0पी0एल0) के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिक।

वर्तमान में "मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" के अन्तर्गत शहरी गरीब लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आय–व्ययक में उपलब्ध धनराशि से इस आवासीय योजना का वित्त–पोषण

किया जायेगा। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने वाली इस योजना का नाम **"मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना"** रखा गया है।

योजना का कार्यान्वयन जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। इसके लिए कार्यदायी संस्थाएं सूडा/डूडा, उ0प्र0 आवास विकास परिषद एवं सम्बन्धित विकास प्राधिकरण आदि होंगे। यथाआवश्यकता समय-समय पर अन्य संस्थाओं को भी कार्यदायी संस्था के रूप में शामिल किया जा सकता है।

"मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना" के तहत जिन अन्य अवस्थापना सुविधाओं को शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाना था उनकी प्रतिपूर्ति अब संबंधित विभागों द्वारा ही की जायेगी।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 4328(1)/9-5-08-153 सा/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर विकास, आवास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त नगर आयुक्त एवं नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
11. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्य मंत्री जी (श्री जमील अख्तर)।
12. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।
16. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव।

संख्याः 5376/9–5–08–153सा/08

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद लखनऊ
4. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई, 2008

विषयः मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः4328/9–5–08–153 सा/2008 दिनांक 02 जून, 2008 के कम में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को कियान्वित करने के उद्देश्य से उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के कम मे निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैंः–

1. <u>भूमि की व्यवस्थाः–</u>

i. योजना के प्रथम चरण/प्रथम वर्ष (2008–2009) में 101000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जायेगा। 60 अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासीय इकाइयों का प्रथम चरण/वर्ष में निर्माण कराया जायेगा तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जायेगा। जनपदवार प्रथम चरण के लक्ष्य व आवंटित धनराशि अनुलग्नक–1 पर अंकित हैं।

ii. योजना की सफलता भूमि के समयान्तर्गत एवं सही लोकेशन के चयन पर पूर्णतया आधारित है। योजनान्तर्गत आवासों के लिए भूमि का चयन उपयुक्त स्थल पर होना चाहिए तथा भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नहीं होनी चाहिए जैसे कि कब्रिस्तान, शमशान, तालाब, हरित पट्टी आदि। योजना के लिए आवश्यक भूमि के लिए नजूल, अरबन लैण्ड सीलिंग की सरप्लस भूमि, विकास प्राधिकरण की आवासीय भूमि, आवास विकास परिषद की आवासीय भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय आस्थान एवं अन्य विभागों की अनुपयुक्त पड़ी भूमि का उपयोग किया जायेगा। इस योजना में प्रयोग होने वाली उपरोक्त सभी प्रकार की भूमि सम्बन्धित संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तदनुशार अपने अभिलेखों में भी अंकित करेगी।

iii. नजूल, अरबन लैण्ड सीलिंग की सरप्लस भूमि, नगरपालिका परिषदों की भूमि, नगर पंचायतों की भूमि, राजकीय आस्थान एवं अन्य विभागों की भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे। विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सचिव आवास उत्तरदायी होंगे। नगर निगमों की भूमि उपलब्ध कराने के लिए मण्डलायुक्त उत्तरदायी होंगे।

iv. दिनांक 30 अगस्त, 2008 तक इस योजना के लिए वॉछित भूमि की उपलब्धता तथा भूमि का वास्तविक रूप से कब्जा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

v. जिन जनपदों में प्रथम चरण में 1500 आवास बनाये जा रहे हैं वहां 10 एकड़ भूमि तथा जिन जनपदों में 1000 आवास प्रति जनपद बनाये जा रहे हैं वहां 07 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी जनपद में एक साथ भूमि उपलब्ध न हो तो टुकड़ों में भूमि

उपलब्ध करायी जा सकती है परन्तु भूमि की कुल उपलब्धता उपरोक्तानुसार 10 एकड़ एवं 07 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। यदि संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपरोक्त संदर्भित स्रोतों से भूमि योजनान्तर्गत उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में योजना के लिए भूमि सीधे कय की जा सकती है।उक्त कय की कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी की देख–रेख में सुनिश्चित की जायेगी।

2. <u>भवनों का निर्माण</u>

i. योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं क्षेत्रफल के अनुसार भवनों का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक आवासीय इकाई का कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिन्थ एरिया) 35 वर्गमीटर होगा तथा उक्त आवासीय इकाई में 02 कमरे, किचेन, लेट्रिन, बाथरूम व बालकनी होगी। स्टैन्डर्ड यूनिट प्लान (अनुलग्नक–2) संलग्न है।

ii. चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले आवास का अधिकतम मूल्य रू0 1.75 लाख प्रति आवास रखा जायेगा। इसमें अवस्थापना सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित होगा। चूंकि यह योजना समयबद्ध है, अतः किसी भी प्रकार की मूल्य में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

iii. इन भवनों का निर्माण नो प्राफिट– नो लॉस पर किया जायेगा तथा इसके निर्माण कार्य पर किसी भी कार्यदायी संस्था को कोई ओवरहेड तथा कोई अन्य व्यय देय नहीं होगा।

iv. भवनों का निर्माण अनिवार्य रूप से कम से कम तीन मंजिला कराया जायेगा।

3. कार्यदायी संस्था का चयन

प्रदेश के जिन जनपदों में विकास प्राधिकरण हैं, वहाँ विकास प्राधिकरण तथा शेष जनपदों में उ0प्र0 आवास विकास परिषद कार्यदायी संस्था होगी। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जनपद में जिलाधिकारी शासन की अनुमति से किसी अन्य शासकीय संस्था को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करा सकेंगे।

4. लाभार्थी एवं आवंटन

i. योजना के अर्न्तगत आवास निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलॉगों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। उपरोक्त 03 श्रेणियों के समस्त आवंटियों में से 23 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति/जनजातियों को आवंटित किये जायेंगे, 27 प्रतिशत भवन पिछड़े वर्गों के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

ii. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवासीय भवन निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

iii. आवंटन हेतु जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों की सूची उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनायी जायेगी। उक्त सूची को ठीक से बनाये जाने का उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का होगा निर्मित की जा रही परिसंपत्तियों का स्वामित्व जिलाधिकारी का होगा तथा यथासमय उन्ही के द्वारा लाभार्थियों का आवंटन एवं लीज की कार्यवाही की जायेगी। यदि जिलाधिकारी चाहें तो आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवंटन एवं लीज करने की कार्यवाही हेतु किसी स्थानीय शासकीय संस्था की सहायता ले सकेंगे परन्तु सही

प्रकार से आवंटन एवं लीज करने हेतु उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का ही होगा। जिलाधिकारी यदि उचित समझें तो डूडा की सहायता ले सकते हैं।

iv. विकलॉगों को अनिवार्य रूप से ग्राउण्ड फ्लोर पर आवासीय भवन आवंटित किये जायेंगे।

v. गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति ही आवंटन हेतु अर्ह होंगे। इसकी पुष्टि के लिए पंजीकरण आवेदन के साथ आवेदक को बी0पी0एल0 प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vi. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ ही निर्धारित आरक्षित श्रेणी की पात्रता से संबंधित प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निराश्रित विकलॉग एवं निराश्रित विधवाओं की पात्रता हेतु भी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

vii. लाभार्थी आवंटित भवन का कब्जा/लीज किसी व्यक्ति को कब्जा /लीज डीड की तिथि से कम से कम दस वर्ष तक स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके पति/पत्नी को एवं पति एवं पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को स्थानांतरित हो सकेगा।

5. <u>आवासीय परिसर का रख–रखाव</u>

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्माण के उपरान्त आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव (सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सफाई आदि) सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

6. गृहकर से छूट

योजना के अर्न्तगत आवंटियों को गृहकर, जलकर से संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मुक्त रखा जायेगा।

7. योजना का जनपद स्तर पर नियंत्रण कियान्वयन एवं अनुश्रवण

i. योजना के नियंत्रण, कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी, जिसकी संरचना निम्न प्रकार होगीः—

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर जिलाधिकारी (वरिष्ठतम)	सचिव
3.	जिला कोषाधिकारी	सदस्य
4.	मण्डल के सहयुक्त नियोजक	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
7.	स्थानीय नागर निकाय का नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी	सदस्य
8.	स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/ सचिव	सदस्य
9.	जिलाधिकारी के विवेकानुसार उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य

ii. उक्त समिति जनपद में योजना का अनुश्रवण करेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आमंत्रित टेण्डर के सम्बन्ध में निविदा की स्वीकृति का अंतिम अधिकार उपरोक्त समिति को होगा। योजना का गुणवत्ता के साथ समयार्न्तगत कियान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा।

iii. शासन द्वारा जनपद को जिलाधिकारी के माध्यम से मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में आवंटित धनराशि एकमुश्त उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका वित्त पोषण पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा भी एकमुश्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

8. <u>योजना का प्रदेश स्तर पर नियंत्रण/कियान्वयन/अनुश्रवण</u>

i. इस योजना के लिए नगर विकास विभाग नोडल एवं नियंत्रक विभाग होगा। नगर विकास विभाग के नियंत्रण में प्रदेश स्तर पर एक प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट (पी.आई.यू.) का गठन किया जायेगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेशक, पी.आई.यू. होगा।

ii. कार्यकारी निदेशक के पद पर प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के किसी सक्षम अधिकारी को तैनात किया जायेगा। पी.आई.यू. में 03 परियोजना अधिकारियों को तैनात किया जायेगा, जिसमें से एक परियोजना अधिकारी वित्त क्षेत्र से, एक अभियंत्रण क्षेत्र से तथा एक टाउन प्लानिंग क्षेत्र से होगा। वित्त से सम्बन्धित परियोजना अधिकारी के पद पर वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जायेगा। शेष 02 परियोजना अधिकारियों की तैनाती संविदा के आधार अथवा प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी। पी.आई.यू. में कार्यकारी निदेशक के साथ एक प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट तथा एक सहायक स्टाफ होगा। इसी प्रकार तीनों परियोजना अधिकारियों को एक–एक प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट अनुमन्य होंगे। इन सभी की तैनाती संविदा के आधार पर की जायेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा, सफाई तथा अन्य रख–रखाव का कार्य पूर्णतया

संविदा के आधार पर कराया जायेगा। पी.आई.यू. में कोई नई तैनाती नहीं की जायेगी एवं न ही किसी अधिकारी का संविलियन किया जायेगा। किसी अतिरिक्त स्टाफ/मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ने पर शासन के नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

iii. पी.आई.यू. का अस्तित्व परियोजना पूर्ण होने तक ही रहेगा। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त पी.आई.यू. स्वतः समाप्त हो जायेगी।

iv. परियोजना का अनुश्रवण, कियान्वयन एवं नियंत्रण पी.आई.यू. द्वारा किया जायेगा।

v. शासन स्तर पर परियोजना के ओवरऑल अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में वित्त, नियोजन, आवास एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा कार्यकारी निदेशक, पी.आई.यू. की एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति होगी।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांकः तदैव

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि–मंडलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सभी प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवंपरिवार कल्याण, पिछड़ा

वर्ग कल्याण, नगर विकास, आवास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त नगर आयुक्त, एवं नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
11. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्य मंत्री जी (श्री जमील अख्तर)।
12. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।
16. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
17. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव

अनुलग्नक - I

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत
लक्ष्य वर्ष–2008–09

क्रम संख्या	जनपद	भौतिक लक्ष्य (आवासों की संख्या)	आवंटित धनराशि (1.75 लाख रू0 प्रति आवास)
1	कानपुर नगर	1500	2625 लाख रू0
2	लखनऊ	1500	2625 लाख रू0
3	गाजियाबाद	1500	2625 लाख रू0
4	आगरा	1500	2625 लाख रू0
5	मेरठ	1500	2625 लाख रू0
6	मुरादाबाद	1500	2625 लाख रू0
7	वाराणसी	1500	2625 लाख रू0
8	इलाहाबाद	1500	2625 लाख रू0
9	बरेली	1500	2625 लाख रू0
10	बुलन्दशहर	1500	2625 लाख रू0
11	मुजफ्फर नगर	1500	2625 लाख रू0
12	फिरोजाबाद	1500	2625 लाख रू0
13	मैनपुरी	1500	2625 लाख रू0
14	मथुरा	1500	2625 लाख रू0
15	अलीगढ	1500	2625 लाख रू0
16	बिजनौर	1500	2625 लाख रू0
17	गोरखपुर	1500	2625 लाख रू0
18	सहारनपुर	1500	2625 लाख रू0
19	झांसी	1500	2625 लाख रू0
20	बदायुं	1500	2625 लाख रू0
21	उन्नाव	1500	2625 लाख रू0
22	शाहजहांपुर	1500	2625 लाख रू0
23	रामपुर	1500	2625 लाख रू0
24	सीतापुर	1500	2625 लाख रू0
25	हरदोई	1500	2625 लाख रू0
26	ज्योतिबाफुले नगर	1500	2625 लाख रू0
27	लखीमपुर खीरी	1500	2625 लाख रू0
28	जालौन	1500	2625 लाख रू0
29	फर्रूखाबाद	1500	2625 लाख रू0
30	मऊ	1500	2625 लाख रू0
31	इटावा	1500	2625 लाख रू0
32	पीलीभीत	1500	2625 लाख रू0
33	जौनपुर	1500	2625 लाख रू0
34	मिर्जापुर	1500	2625 लाख रू0
35	रायबरेली	1500	2625 लाख रू0

क्रम संख्या	जनपद	भौतिक लक्ष्य (आवासों की संख्या)	आवंटित धनराशि (1.75 लाख रू0 प्रति आवास)
36	बलिया	1500	2625 लाख रू0
37	देवरिया	1500	2625 लाख रू0
38	आजमगढ	1500	2625 लाख रू0
39	फैजाबाद	1500	2625 लाख रू0
40	हाथरस	1500	2625 लाख रू0
41	कांशीराम नगर	1500	2625 लाख रू0
42	बांदा	1500	2625 लाख रू0
43	बहराइच	1500	2625 लाख रू0
44	फतेहपुर	1500	2625 लाख रू0
45	बाराबंकी	1500	2625 लाख रू0
46	कन्नौज	1500	2625 लाख रू0
47	एटा	1500	2625 लाख रू0
48	बागपत	1500	2625 लाख रू0
49	गाजीपुर	1500	2625 लाख रू0
50	सोनभद्र	1500	2625 लाख रू0
51	गोंडा	1500	2625 लाख रू0
52	हमीरपुर	1500	2625 लाख रू0
53	भदोई	1500	2625 लाख रू0
54	अम्बेडकर नगर	1500	2625 लाख रू0
55	औरैया	1500	2625 लाख रू0
56	चन्दौली	1500	2625 लाख रू0
57	महोबा	1500	2625 लाख रू0
58	सुल्तानपुर	1500	2625 लाख रू0
59	प्रतापगढ	1500	2625 लाख रू0
60	ललितपुर	1500	2625 लाख रू0
61	बलरामपुर	1000	1750 लाख रू0
62	गौतमबुद्ध नगर	1000	1750 लाख रू0
63	कुशीनगर	1000	1750 लाख रू0
64	बस्ती	1000	1750 लाख रू0
65	महराजगंज	1000	1750 लाख रू0
66	कानपुर देहात	1000	1750 लाख रू0
67	कौशाम्बी	1000	1750 लाख रू0
68	सन्तकबीर नगर	1000	1750 लाख रू0
69	सिद्धार्थ नगर	1000	1750 लाख रू0
70	चित्रकूट	1000	1750 लाख रू0
71	श्रावस्ती	1000	1750 लाख रू0
	कुल योग	101000	1767 करोड़ 50 लाख रू0

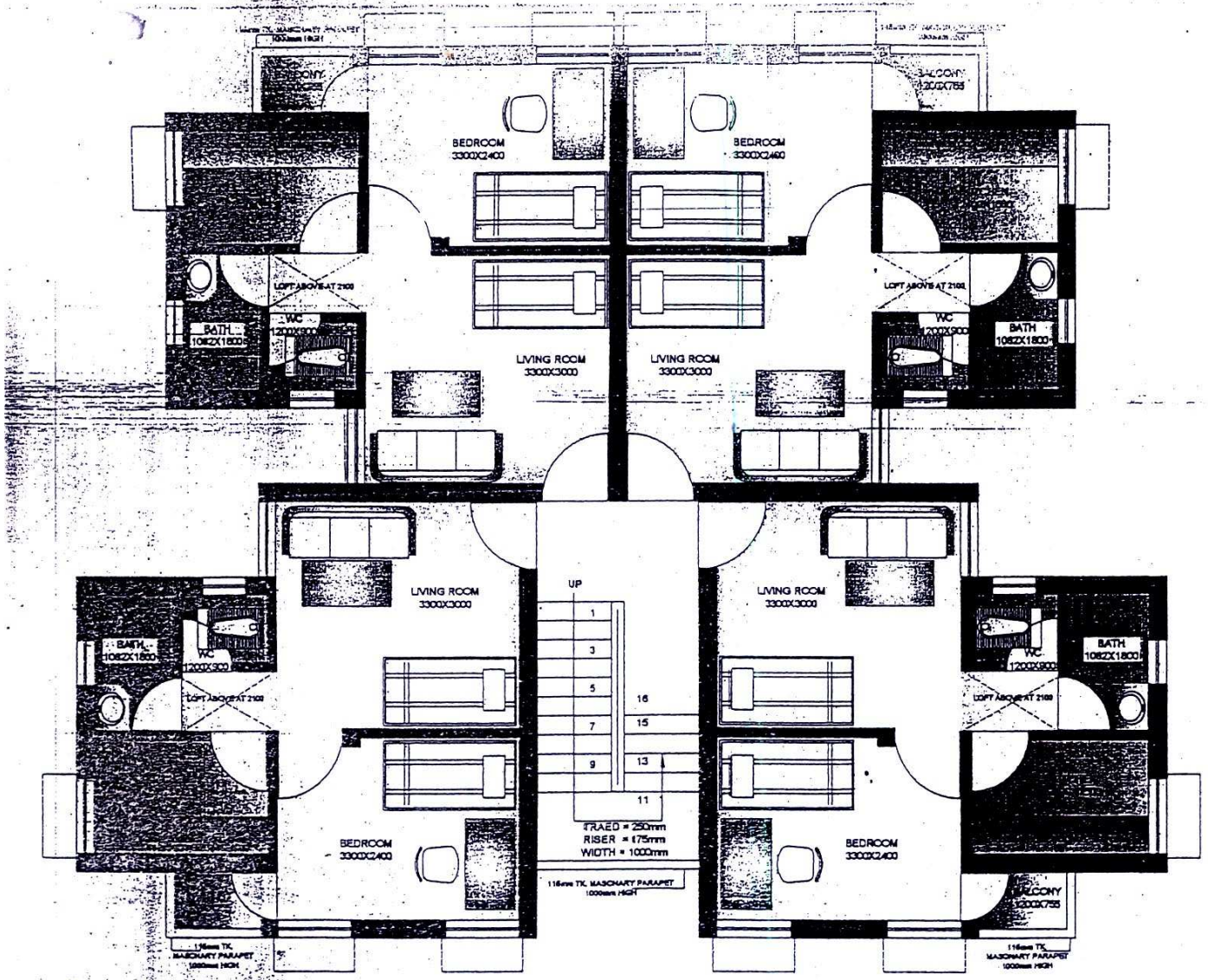

AREA : 35.02 sqm

DESIGN ASSOCIATES INC., NEW DELHI

UNIT PLAN

PROPOSED LOW,COST HOUSING, UTTAR PRADESH

संख्या–7393ए / नौ–5–2008–153सा / 2008टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2– समस्त जिलाधिकारी,, उत्तर प्रदेश ।
3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ ।
4– समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः08 अक्टूबर, 2008

विषयः–''मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5376 / नौ–5–2008–153सा / 2008, दिनांक–24 जुलाई, 2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर–2 (i) में प्रत्येक आवासीय इकाई का कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिन्थ एरिया) 35 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया था । शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक आवासीय इकाई का कुर्सी क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर के स्थान पर 30 वर्गमीटर रखा जाय । कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

3– शासनादेश संख्या–5376 / नौ–5–2008–153सा / 2008, दिनांक–24 जुलाई, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव ।

कमशः 2 / –

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि

1— प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मंत्रि—मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2— समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
3— प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, समाज चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर आवास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्यो ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास नि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4— प्रमुख सचिव, वित्त, नियोजन, न्याय, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शा
5— स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6— समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8— निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ।
9— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ ।
10— विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर) ।
11— समस्त संयुक्त / उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
12— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13— समस्त परियोजना निदेशक / परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय अभिकरण, उ0प्र0 ।
14— समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी) ।
15— महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
16— नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
17— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा
विशेष सचिव ।

संख्याः: 8821/9-5-08-247सा/08टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद लखनऊ
4. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः: दिनांकः: 16 दिसम्बर, 2008

विषयः: मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5376/9–5–08–153सा/08, दिनांक–24.07.2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4, जिसमें लाभार्थी एवं आवंटन का उल्लेख किया गया है, में यह व्यवस्था नहीं है कि आवंटन में किस श्रेणी को प्राथमिकता दी जायेगी, के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना के अन्तर्गत आवासों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा :–

1. प्रथम वरीयता निराश्रित विधवा ।
2. द्वितीय वरीयता निराश्रित विकलांग ।
3. तृतीय वरीयता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य व्यक्ति ।

शासनादेश दिनांकित–24.07.2008 के अनुसार प्रावधानित आरक्षण 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये, 27 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिये तथा शेष 50 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के लिये बने रहेंगे ।

3– उक्त के अतिरिक्त प्रस्तर–4 के बिन्दु संख्या–V जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति ही आवंटन हेतु अर्ह होंगे, इसकी पुष्टि के लिये पंजीकरण आवेदन के साथ आवेदक को बी0पी0एल0 कार्ड संलग्न करना आवश्यक होगा, के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन जनपदों में बी0पी0एल0 कार्ड धारक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहॉ पर लाभार्थी का गरीबी रेखा से नीचे का होना ही पर्याप्त होगा । यह व्यवस्था केवल उन्हीं जनपदों में लागू होगी जहॉ पर पर्याप्त संख्या में बी0पी0एल0 कार्ड धारक नहीं हैं ।

4– दिनांक–24.07.2008 के शासनादेश में यह व्यवस्था नहीं थी कि यदि लाभार्थी जनपद में उपलब्ध आवासीय इकाईयों से अधिक हों, तो किस प्रकार आवंटन व्यवस्था

सुनिश्चित की जायेगी । इस हेतु उचित होगा कि लाभार्थियों में जो सबसे गरीब ह उन्हें पहले आवंटन दिया जाय अर्थात् भवन आवंटन में "Poorest of the poor" व सिद्धान्त अपनाया जाय ।

4— शासनादेश संख्या—5376/नौ—5—2008—153सा/2008, दिनांक—24.07.200 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-8821(1)/9-5-08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि-मंडलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सभी प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नगर विकास, आवास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्य मंत्री जी (श्री जमील अख्तर)।
11. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।
15. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
16. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव ।

संख्या- 01 /नौ-5-09-153सा/08टीसी-1

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः: दिनांकः: 2 जनवरी, 2009

विषयः: **मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5376/9–5–08–153सा/08, दिनांक–24.07.2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1, जिसमें योजनान्तर्गत भूमि की व्यवस्था का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:–

भूमि की व्यवस्थाः-

i. योजना के प्रथम चरण/प्रथम वर्ष (2008–2009) में 101000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जायेगा। 60 अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासीय इकाइयों का प्रथम चरण/वर्ष में निर्माण कराया जायेगा तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जायेगा। जनपदवार प्रथम चरण के लक्ष्य व आवंटित धनराशि अनुलग्नक–1 पर अंकित हैं।

ii. योजना की सफलता भूमि के समयान्तर्गत एवं सही लोकेशन के चयन पर पूर्णतया आधारित है। योजनान्तर्गत आवासों के लिए भूमि का चयन उपयुक्त स्थल पंर होना चाहिए तथा भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नहीं होनी चाहिए जैसे कि कब्रिस्तान, शमशान, तालाब, हरित पट्टी आदि। योजना के लिए आवश्यक भूमि के लिए नजूल, अरबन लैण्ड सीलिंग की सरप्लस भूमि, विकास प्राधिकरण की आवासीय भूमि, आवास विकास परिषद की आवासीय भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय आस्थान एवं अन्य विभागों की अनुपयुक्त पड़ी भूमि का उपयोग किया जायेगा। इस योजना में प्रयोग होने वाली उपरोक्त सभी प्रकार की भूमि सम्बन्धित संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तदनुसार अपने अभिलेखों में भी अंकित करेगी।

iii. नजूल, अरबन लैण्ड सीलिंग की सरप्लस भूमि, नगरपालिका परिषदों की भूमि, नगर पंचायतों की भूमि, राजकीय आस्थान एवं अन्य विभागों की भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे। विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सचिव आवास उत्तरदायी होंगे। नगर निगमों की भूमि उपलब्ध कराने के लिए मण्डलायुक्त उत्तरदायी होंगे।

iv. दिनांक 30 अगस्त, 2008 तक इस योजना के लिए वॉछित भूमि की उपलब्धता तथा भूमि का वास्तविक रूप से कब्जा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

v. जिन जनपदों में प्रथम चरण में 1500 आवास बनाये जा रहे हैं वहां 10 एकड़ भूमि तथा जिन जनपदों में 1000 आवास प्रति जनपद बनाये जा रहे हैं वहां 07 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी जनपद में एक साथ भूमि उपलब्ध न हो तो टुकड़ों में भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है परन्तु भूमि की कुल उपलब्धता उपरोक्तानुसार 10 एकड़ एवं 07 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। यदि संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपरोक्त संदर्भित स्रोतों से भूमि योजनान्तर्गत उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में योजना के लिए भूमि सीधे क्रय की जा सकती है। उक्त क्रय की कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी की देख–रेख में सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि ''मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना'' के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली उपरोक्त सभी प्रकार की भूमि सम्बन्धित संस्था द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मा0 मंत्रि–परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । अतः प्रत्येक विभाग द्वारा पुनः मा0 मंत्रि–परिषद के समक्ष भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है । कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

3– यह आदेश गोपन विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- (1)/9-5-08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि-मंडलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सभी प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्य मंत्री जी (श्री जमील अख्तर)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव ।

संख्या– 7869 /नौ–5–08–547सा/09टीसी

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आवास विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2009

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–08–153 सा/08 दिनांक 24.7.2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विषयक शासनादेश दिनांक 24.7.2008 के बिन्दु संख्या–4, जिसमें पात्र लाभार्थियों एवं उन्हें आवास आवंटन का उल्लेख किया गया है, को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार शिथिल किया जाता है–:

(1) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों में सर्वे उपरान्त निर्धारित 1500/1000 से कम संख्या में पात्र लाभार्थी उपलब्ध हैं तथा जिलाधिकारी स्वयं संतुष्ट हैं कि उक्त नागर निकाय में और पात्र व्यक्ति/लाभार्थी उपलब्ध नहीं होगें तब उस दशा में यह व्यवस्था की जा सकती है कि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को कम से कम 21 प्रतिशत आवास अवश्य आवंटित करने के पश्चात अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग को आवासों के आवंटन में निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था को आवश्यक्तानुसार शिथिल किया जा सकता है ताकि निर्मित आवास रिक्त न पड़े रहें।

(2) जनपद में लाभार्थियों की संख्या यदि निर्धारित आवासों (1500/1000) की संख्या से अधिक हो तो अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के अलग–अलग श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर लाटरी के माध्यम से आवासों का निर्धारित प्रतिशत अनुसार आवंटन किया जाय।

(3) जनपद में सर्वे उपरान्त अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों की संख्या यदि लक्षित आवासों (1500/1000) के सापेक्ष निर्धारित आरक्षण प्रतिशत/आवासों की संख्या से अधिक हो तथा अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों की संख्या उनके निर्धारित आरक्षण प्रतिशत/आवासों की संख्या से कम हो तो अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को उक्त आवास आवश्यकतानुसार आवंटित किये जा सकते हैं।

(4) योजनान्तर्गत आवासों के आवंटन के संबंध में उक्त व्यवस्था जनपद में निकायवार लागू की जायेगी।

(5) यदि किसी नागर निकाय में निर्मित आवासों की संख्या से कम लाभार्थी सर्वे उपरान्त उपलब्ध होते हैं और जिलाधिकारी यह आवश्यक समक्षते हैं कि समीपवर्ती स्थानीय निकाय के पात्र व्यक्तियों को इस शर्त के साथ उन्हें आवास आवंटित किया जाय कि लाभार्थी स्वयं उन आवासों में निवास करेंगे, तब ऐसी स्थिति में नगर विकास विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करते हुए अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

1– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजना विभाग।
2– प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।
3– आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
4– समस्त जिलाधिकारी, उंत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–163/नौ–5–2009–247सा/09टीसी

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2010

विषयः–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के आवंटन हेतु पट्टाविलेख।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मेरे अर्द्वशा0 पत्र संख्या–7545/नौ–5–09–247सा/09 टीसी दि0 21 दिसम्बर, 2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्श्चात आवासों का कब्जा दिलाते समय श्री राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी द्वारा पट्टाविलेख पर पट्टाधारक/आवंटी के साथ हस्ताक्षरित. किया जाय। पट्टाविलेख का प्रारूप डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास की वेबसाइट agvv.up.nic.in. के होम पेज पर उपलब्ध है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पट्टाविलेख के प्रस्तर–15 (ग) पर उल्लिखित शर्तो का समावेश होने के पश्चात मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निष्पादित पट्टाविलेख पर स्टाम्प शुल्क स्वतः माफ हो जायेगा, क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्टाम्प शुल्क से मुक्त है। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त स्थिति से क्षेत्रीय निबंधन कार्यालय को अपने स्तर से सूचित करते हुए पट्टाविलेख हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– यह भी अनुरोध है कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित आवास पर कब्जा दिलाते समय जिलाधिकारी द्वारा सादे पेपर (सफेद एवं मोटे) पर टंकित पट्टाविलेख पर पट्टाधारक/आवंटी के साथ हस्ताक्षरित किया जायेगा। चूँकि पट्टाविलेख के हस्ताक्षर होने पर 04 महीने के अन्दर पंजीयन (रजिस्ट्री) कराया जाना आवश्यक होता है। अतः इस बीच में योजनान्तर्गत भवनों के आवंटन के पश्चात हस्ताक्षरित पट्टाविलेख पर व्यय होने वाले पंजीयन शुल्क (आवस की 1.59लाख की लागत का 1 %) का वहन किसके द्वारा किया जायेगा, इस संबंध में पृथक से अवगत करा दिया जायेगा। कृपया तद्नुसार 15.01.2010 को जन कल्याण दिवस पर लाभर्थियो के साथ पट्टाविलेख हस्ताक्षरित कराकर मूल प्रति रखते हुए उन्हे भौतिक कब्जा दिलाने की कार्यवाही कर ली जाय। तत्पश्चात पट्टाविलेख के पंजीयन से संबंधित कार्यवाही कर ली जायेगी ।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

GO RKP

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में निबंधन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2— प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–179 / नौ–5–2010–13सा / 10

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2010

विषयः–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासों के निर्माण हेतु भूमि कय किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में शहरी गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2008–09 में मा0 श्री कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना कियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 60 अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासीय इकाईयों तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासीय इकाईयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 101000 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। द्वितीय चरण में पात्र लाभार्थियों की मांग एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 1500 आवासों हेतु 10 एकड़ भूमि तथा 1000 आवासों हेतु 07 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। भूमि कय किये जाने हेतु योजना में कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में कतिपय जनपदों से भूमि के कय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि कोई शहरी निकाय योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के दृष्टिगत अपने आन्तरिक संशाधनों से मा0 श्री कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना हेतु निर्धारित प्रकियानुसार (नियमानुसार) भूमि कय करने में सक्षम हैं तो शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी, शासन स्तर से भूमि कय करने हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–163(1)/नौ–5–2010–247सा/08टीसी

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 29 जनवरी, 2010

विषयः–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के आवंटन हेतु पट्टाविलेख ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–163/नौ–5–2009–247सा/08टीसी, दिनांक 13 जनवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पट्टाविलेख हस्ताक्षरित किये जाने तथा हस्ताक्षरित पट्टाविलेख पर व्यय होने वाले पंजीयन शुल्क के संबंध में पृथक से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 श्री कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना में पंजीकृत होने वाले पट्टाविलेखों पर लगभग 30 रूपये का निबन्धन शुल्क देय होगा । उक्त निबन्धन शुल्क लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। कृपया तद्नुसार आवासों के पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में निबन्धन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3– आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
4– सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6– निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1686/नौ-5-2009-247सा/08टीसी

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2--समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2010

विषयः--मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में निर्मित आवासों के आवंटन एवं कब्जा दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त जनपदों में 101000 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। मण्डलायुक्तों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.02.2010 तक योजनान्तर्गत 88594 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। निर्मित आवासों के सापेक्ष माह के अन्त तक मात्र 39286 आवासों का आवंटन किया गया है तथा आवंटित आवासों के सापेक्ष मात्र 20749 आवासों के पट्टाविलेख हस्ताक्षरित करते हुए कब्जा दिया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 15.02.2010 में यह निर्देश दिये गये थे कि आगामी समीक्षा बैठक के पूर्व योजनान्तर्गत निर्मित आवासों का आवंटन कर दिया जाय किन्तु आवासों के आवंटन की जो स्थिति उभर कर आयी है वह अत्यन्त ही निराशाजनक है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में निर्मित आवासों का आवंटन शत-प्रतिशत दिनांक 10.04.2010 तक सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों को दिनांक 15.04.2010 तक आवंटित आवास के सापेक्ष पट्टाविलेख हस्ताक्षरित करते हुए कब्जा प्रदान करने का कष्ट करें। इस बीच आवास विकास परिषद एवं संबंधित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवासों का निर्माण अवस्थापना सुविधाओं सहित पूर्ण कराकर जिलाधिकारी के माध्यम से शहरी निकाय को हस्तानान्तरित करा दिया जाय जिन जनपदों में पर्याप्त पात्र लाभार्थियों का चयन नहीं हो पाया है, वहॉ जिलाधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से पुनः सर्वे करा लिया जाय तथा लाभार्थियों के चयन हेतु सर्वे करते हुए उन स्थानों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय, जहॉ पर मलिन बस्तियॉ स्थित हैं। जिलाधिकारियों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन करते हुए पूर्ण आवासों का आवंटन आगामी बैठक से पूर्व करा लिया जाय अन्यथा शासन द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

G:\RKP

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5— निदेशक, स्थानीय निकाय/सूडा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6— प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3749/नौ–5–2009–247सा/08टीसी

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 23 अप्रैल, 2010

विषयः– **मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–08–153सा/08 दिनांक 24.07.2008 तथा शासनादेश संख्या–7931/नौ–5–2009–247सा/ 08टीसी दिनांक 04.12.2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्मित आवासों के आवंटन के संबंध में निम्नानुसार पात्रता/मापदण्ड का निर्धारण किया जाता है :–

(1) सभी श्रेणी के लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

(2) निर्मित आवासों के आवंटन के समय सर्वप्रथम विधवा तथा उसके पश्चात विकलांग श्रेणी के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस श्रेणी के लाभार्थी के पास यदि बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है, तो उसके लिए गरीबी रेखा से नीचे का आय–प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा, परन्तु ऐसे सभी लाभार्थियों के बारे में जिलाधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र का शत–प्रतिशत सत्यापन के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।

(3) विकलांग लाभार्थियों को भूतल पर तत्पश्चात विधवाओं को आवंटन में प्राथमिकता दी जाय ।

(4) विकलांग लाभार्थी के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।

(5) अन्य श्रेणी के लाभार्थियों का चयन निम्न आधार पर किया जाय :–

(क) आवेदक संबंधित निकाय/शहरी क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। इसके प्रमाण के रूप में मतदाता सूची, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र में से कोई एक साक्ष्य होना अनिवार्य है तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार इस योजना हेतु पात्र होगा। परिवार के पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है तो उस दशा में आय प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा।

(ख) ऐसे आवेदक जिनके पास अपनी 30 वर्गमीटर तक आवासीय भूमि संबंधित शहरी निकाय में है परन्तु वे कच्चे मकान अर्थात जिसके पास पक्की छत का मकान न हो में निवास कर रहे हैं, तो वे पात्रता की श्रेणी में आयेंगे।

(ग) बी0पी0एल0 रेखा के नीचे रहने वाले आवेदक जिन्हें मालिकाना हक योजना के अन्तर्गत उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण मालिकाना हक नहीं दिया जा सका है, ऐसे लाभार्थियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कोई गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला परिवार संबंधित शहरी निकाय में किराये पर रह रहा है और उपरिलिखित श्रेणी 5(क) में उल्लिखित कोई भी एक प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध हैं, तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवास हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसके पास शहरी निकाय में अपना कोई मकान अथवा आवासीय भूमि 30 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(घ) संबंधित शहरी निकाय के अन्दर निवास करने वाले प्रति परिवार के हिस्से में 30 वर्ग मीटर अधिकतम आवासीय भूमि जिस पर चाहे पक्का मकान (एक मंजिला) क्यों न बना हो, को मानक मानते हुए यदि किसी संयुक्त परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, में एक से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं, तो उन्हें भी योजनान्तर्गत पात्रता की सूची में सम्मिलित किया जाय। उदाहरण के लिए यदि किसी शहरी गरीब परिवार के पास 100 वर्गमीटर की आवासीय भूमि उपलब्ध हो किन्तु उस संयुक्त परिवार में 05 परिवार निवास कर रह है, तो प्रति परिवार 30 वर्गमीटर को मानक मानते हुए शेष 02 परिवारों को इस आधार पर योजनान्तर्गत आवास आवंटित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(6) योजनान्तर्गत आवासों के आवंटन में शासनादेश, दिनांक 20.07.08 तथा 24.12.2009 में दिये गये आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यदि किसी जनपद में सर्वे के उपरान्त भी निर्मित आवासों के सापेक्ष आवंटन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, तब उस दशा में जिलाधिकारी के यह प्रमाण पत्र देने पर कि वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं कि उक्त नगर निकाय में समुचित लाभार्थी नहीं हैं के अनुरोध पर मण्डलायुक्त को यह अधिकार होगा कि समीपवर्ती अन्य शहरी निकायों के पात्र लाभार्थियों को इस शर्त के साथ आवास आवंटित किया जाय कि लाभार्थी उस आवास में स्वयं निवास करेगा और ऐसा न होने की दशा में 15 दिन की नोटिस देते हुए उसका आवंटन भी निरस्त कर दिया जायेगा किन्तु सभी विकल्पों के उपयोग के पश्चात यदि संबंधित जनपद में शत प्रतिशत आवासों का आवंटन सुनिश्चित नहीं होता है, तो उस दशा में ही मण्डलायुक्त द्वारा इस अधिकार का उपयोग स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त ही किया जायेगा। इस प्रकार के अधिकार के उपयोग की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) योजनान्तर्गत निर्मित आवासों के आवंटन के संबंध में उपरोक्तानुसार पात्रता/मापदण्ड के संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों में अभी तक शत प्रतिशत आवंटन सुनिश्चित नहीं हो पाया है, वहॉ 15 दिन के अन्दर पुनः विस्तृत सर्वे करवाया जाय, ताकि अतिरिक्त पात्र लाभार्थी आवंटन हेतु उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त जिन जनपदों में शत प्रतिशत आवंटन हो चुका है, वहॉ भी सम्भावित लाभार्थियों के ऑकलन हेतु प्रारम्भिक सर्वे कराया जाय। विशेष कर उन क्षेत्रों का जहॉ इस प्रकार के सम्भावित लाभार्थियों के मिलने की अधिक सम्भावना है। उदाहरणार्थ मलिन बस्ती, अवैध कालोनी एवं झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र।

(9) उपरोक्त प्रारम्भिक/विस्तृत सर्वे के उपरान्त द्वितीय चरण (2009–10) में निर्मित किये जाने वाले आवासों के लक्ष्य को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाना है, ताकि प्रथम चरण की भॉति द्वितीय चरण में भी एक लाख आवास शहरी गरीब लोगों के लिए बनाये जा सके। जिन जनपदों में प्रथम चरण की भॉति 1500 अथवा 1000 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है, वहॉ पर भी सम्भावित लाभार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जाय।

(10) सभी मण्डलायुक्त अपने स्तर पर उपरोक्त सर्वे के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारियों के साथ योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में निर्मित आवासों के लक्ष्य को संशोधित करने हेतु विस्तृत समीक्षा कर मण्डल के संशोधित लक्ष्य को यथाशीघ्र शासन को सूचित करेंगे। प्रयास यह रहना चाहिए कि पुनः सर्वे के उपरान्त सम्भावित लाभार्थियों की संख्या तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक आवासों का निर्माण

प्रत्येक जनपद में किया जाय, ताकि निर्धारित लक्ष्य वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो। वर्तमान में निर्धारित जनपदवार लक्ष्य संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन ।
5– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/आवास एवं शहरी नियोजन/ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6– आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7– समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
7– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
9– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 803/8-2-2010

प्रेषक,

डा. जे.एन. चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2010

विषयः मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादश संख्या : 4328/9-5-08-153सा/2008, दिनॉक 02.06.08 एवं शासनादेश संख्या : 5376/9-5-08-153सा/2008, दिनॉक 24.07.08 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के शहरी गरीवों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि योजना के द्वितीय चरण में जिन जनपदों/स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, वहॉ उन आवासों को पूर्ण कराया जाय और शेष जनपदों/स्थानों पर जहॉ निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, इस संवंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वे कतिपय जनपद जहॉ प्रथम चरण में निर्माणाधीन आवासों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और योजना के द्वितीय चरण में जिन जनपदों/स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियो का व्यक्तिगत रूप से उत्तदायी बनाया गया है। जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हो और इसके लिए जिलाधिकारी अपने स्तर पर एक तकनीकी टीम का गठन करेंगे जो माह में कम से कम एक बार स्थल निरीक्षण करते हुए प्रयोग में लायी जा रही निर्माण सामग्री की टस्ट चकिंग एवं अन्य गुणवत्ता सबधी मानकों का विश्लेषण एवं सत्यापन करेंगी। इस तकनीकी टीम में लोक निर्माण विभाग एवं कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता के साथ-साथ जिलाधिकारी किसी एक और अनुभवी अभियंता को टीम में सम्मिलित करेंगे। जहॉ कहीं निर्माण कार्य में कमी परिलक्षित होती है उनका तत्काल निराकरण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4– प्रमुख सचिव, आवास के पत्र दिनॉक 28.07.10 के क्रम में अनेकों जिलाधिकारियों ने प्रथम चरण के अंतर्गत निर्मित आवासों में कतिपय निर्माण संबंधी कमियॉ दर्शायी हैं और अनेकों स्थानों पर अभी अवस्थापना सुविधाओं की कमी भी सामने आयी है। इन सभी निर्माण एवं अवस्थापना संबंधी कमियों को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी संबंधित कार्यदायी संस्था के माध्यम से जिन कार्यों को स्थानीय स्तर पर नहीं करा सकते, उस समय में आगणन तैयार करते हुए अपनी मॉग आगामी एक सप्ताह में आवास विकास परिषद के माध्यम से संकलित रूप से प्रेषित करेंगे। जिन जनपदों में प्राधिकरण द्वारा आवास बनाये गये हैं वहॉ संबंधित प्राधिकरण कमियों को दूर करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई स अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

31/8/10
(डा. जे.एन. चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सभी प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. विशेष कार्याधिकारी, सूचना मा. मुख्य मंत्री जी (श्री जमील अख्तर)
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

31/8/10
(डा. जे.एन. चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

सं.2694 /नौ-7-10-53/का.यो./10

प्रेषक,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

समस्त अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2010

विषयः **मा. श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में पूर्ण रूप से निर्मित भवनों/आवासीय परिसरों को आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण /रख-रखाव (सड़क, स्ट्रीट लाईट, पेयजल एवं सफाई आदि) हेतु संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा टेक-ओवर किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5376/नौ-5-08-153सा./2008, दिनांक-24.07.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा योजना के आवासीय परिसर का रख-रखाव हेतु यह निर्देश दिया गया है कि मा. श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में आवासों के निर्माण के उपरान्त आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं का रख-रखाव (सड़क, स्ट्रीट लाईट, पेयजल, सफाई आदि) संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा मा. श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में निर्मित आवासीय परिसरों को टेक-ओवर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन आवासीय परिसरों का रख-रखाव एवं अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्राथमिकता के आधार पर एक माह के अन्दर योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में पूर्ण रूप से निर्मित आवासीय परिसरों को आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं (सड़क, स्ट्रीट लाईट, पेयजल एवं सफाई आदि) के रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु टेक-ओवर करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01- सभी प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
02- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
03- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
04- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
05- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
06- निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ-मार्केट, लखनऊ।
07- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
08- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
09- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में शासनादेश की प्रतियॉ अपने स्तर से अधिशासी अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10- मीडिया सलाहकार, मा. मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर)
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 20 /आठ–2–2010–56जॉच / 10

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
लखनऊ।

2.– **आवास आयुक्त**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

3– **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

4– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक** 07 **जनवरी, 2011**

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्माण के दौरान भी निर्देश निर्गत करते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि इन आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस विषय में शासन के पत्र संख्या–30प्र0स0अ0 / 2010 दिनांक 28–7–2010 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिलाधिकारीगण से योजनान्तर्गत प्रथम चरण में किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की आकस्मिक जॉच करायी गयी, जिसके क्रम में गुणवत्ता सम्बन्धी कई कमियॉ यथा– भवनों में 5 दरवाजों के स्थान पर तीन दरवाजे लगाना, किचन में सिंक स्थापित न करना, सीढियों व दीवारों का प्लास्टर कई स्थानों पर टूटा पाया जाना, बाथरूम व किचन के फर्श का ढलान समुचित न होना, भवनों में खिडिकियॉ व ग्लास पैनल टूटे होना, ड्रेन पाइप टूटी होना आदि पायी गयी। जॉच में पायी गयी कमियों को तत्काल दूर

कराने व दोषी कार्मिकों के विरूद्व समुचित दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश भी इस क्रम में दिये गये थे।

2— शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्मित भवनों में अभी भी निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण नहीं है और गुणवत्ता खराब होने अथवा निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण में कमियॉ प्रकाश में आ रही है। यह स्थिति अत्यन्त ~~आपत्तिजनक~~ चिंताजनक है। उल्लेखनीय है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाओं में से है, जो समाज के आर्थिक रूप से निर्बल व्यक्तियों के लिए है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप हों तथा उनका निर्माण कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम हो।

3— उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के अन्तर्गत निर्मित भवनों का निरीक्षण सक्षम स्तर से कराने तथा प्रभावी अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित करायें कि इन भवनों में कोई कमी न रह जाये।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या— 20 (1)/आठ—2—10 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक आवास बन्धु, जनपथ लखनऊ को इस आशय से पृष्ठांकित कि कृपया उक्त पत्र को फैक्स/ई. मेल के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों एवं विकास प्राधिकरणों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
अनु सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या– 551 /आठ–2–2011–30 मा.का.मो./11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2011

विषय-- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित भवन/आवासीय परिसर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत निर्मित भवन/आवासीय परिसरों के मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपदों के भ्रमण के दौरान किये गये निरीक्षणों के समय सामने आयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :–

(1) सभी आवासीय परिसरों में बनायी गयी सड़क से प्रत्येक ब्लाक के पहुँच मार्ग पर खडन्जा अथवा इन्टरलांकिग का कार्य कराया जाय। साथ ही इस प्रकार का खडन्जा अथवा इन्टरलाकिंग ब्लाको को परस्पर जोड़ने वाले मार्गों पर भी लगवा दिया जाय। यह कार्यवाही तत्काल प्राथमिकता पर पूर्ण करा ली जाये। इसके लिए यदि आवश्यक हो, तो अवस्थापना निधि अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य श्रोतो से धनराशि की व्यवस्था कर ली जाये।

(2) कतिपय स्थानों पर आवासों में खिडकियों में लगे के शीशे अधोमानक के होने की स्थिति सामने आयी है अतः योजनान्तर्गत निर्मित आवासों की खिडकियों में लगाये गये शीशे न्यूनतम 4.00मि.मी. के होने चाहिए। यदि कहीं इससे कम मोटाई

का शीशा प्रयोग किया गया है, तो उसे तत्काल उपर्युक्तानुसार ठीक कराया जाय।

(3) सभी आवासीय परिसरों के मुख्य गेट पर तत्काल उपयुक्त स्थान पर योजना का बोर्ड लगाया जाय। बोर्ड की अनुमोदित डिजाईन व विशिष्टियॉ आवास एवं विकास परिषद की बेबसाइड www.upavp.com से डाउनलोड की जा सकती हैं।

(4) भविष्य में निर्मित होने वाले भवनों के लिए कलर स्कीम निर्धारित कर दी गयी है, जिसे आवास एवं विकास परिषद की बेबसाइट www.upavp.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस कलरिंग स्कीम का कड़ाई से पालन कराया जाये।

भवदीय

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव 26/2/11

संख्या– 551 (1)/आठ–2–11, तदिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री , उ0प्र0 शासन
4– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी/समस्त विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश को आज ही फैक्स/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

फैक्स / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 744 /आठ–2–11–3एच0बी0(25)/11

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक– 14 मार्च 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के परिसरों में खुले स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में खुले स्थानों पर पौधों का रोपण किया जाये। विशेषकर नीम के पौधों का वृक्षारोपण किया जाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 में आवास एवं विकास परिषद के लिए वृक्षारोपण हेतु 02 लाख तथा समस्त विकास प्राधिकरणों को 07 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृपया उक्त लक्ष्य के अपेक्ष समायोजित करते हुए मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासीय परिसरों में विशेषकर नीम के वृक्ष रोपित किये जाय।

2– नीम के पौधे वन विभाग का स्थानीय पौधशालाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस संबंध में वन विभाग द्वारा अपने शासनादेश संख्या–369/14–5–2011 दिनाक 4–3–2011 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश संलग्न है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– 744 (1)/आठ–2–11, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कराया जाना सुनिश्चित करें।

2– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कराया जाना सुनिश्चित करें।

3– निजी साचेव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्री राज प्रताप सिंह) को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय के सूचनार्थ।

4– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस पत्र की प्रति समस्त जिलाधिकारियों/समस्त विकास प्राधिकरणों को **फैक्स/ ई–मेल** से **आज ही** प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मन्जु चन्द्र)
विशेष सचिव

संख्या– 274/26–ब0प्र0–2011–11मा0का0यो0/11

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मथुरा, रामपुर, फतेहपुर, एटा, मैनपुरी, कांशीराम नगर, कानपुर, बुलन्दशहर, पीलीभीत, बागपत, बिजनौर, शाहजहॉपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, औरैया, बदायूँ, बरेली, इटावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग लखनऊ : दिनांक– 30 मार्च 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) के निर्मित आवासों (300 या अधिक आवासों के स्थान) में जलापूर्ति के लिए उच्च जलाशय (ओवरहेड टैंक) के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) में निर्मित आवासों (300 या अधिक आवासों के पाकेट्स) में जलापूर्ति के लिए उच्च जलाशय (ओवरहेड टैंक) के निर्माण हेतु उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त प्रायोजना प्रस्तावों पर आंकलित लागत रूपये 18,79,63,000/– (रूपये अठ्ठारह करोड़ उन्नासी लाख तिरसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कार्यवार 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 9.39,81,500/– (रूपये नौ करोड़ उन्तालीस लाख इक्यासी हजार पॉच सौ

मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत् निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	जनपद	उच्च जलाशय के निर्माण का स्थल	आकंलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवंटित धनराशि
1	मथुरा	मथुरा	57.21	28.605
2	रामपुर	पहाड़ीगेट, नन्दर बाग	75.26	37.63
3	फतेहपुर	अस्ती कालोनी, महर्षि विद्या मन्दिर कालोनी, गडेरियन पुरवा	69.34	34.67
4	एटा	ग्राम शिरवा, शीतलपुर, बी0पी0एस0 कालेज	72.73	36.365
5	मैनपुरी	नंगल कीरथ, आजाद नगर	74.37	37.185
6	कांशीरामनगर	कांशीरामनगर विलेज, टाटरपुर ग्राम के पास	33.60	16.8
7	कानपुर	शनिगवॉ	77.97	38.985
8	बुलन्दशहर	शायनारोड, कालिन्दीकुॅज	53.53	26.765
9	(1)पीलीभीत	नगर पालिका परिषद	34.93	17.465
	(2)पीलीभीत	ट्रान्सपोर्टनगर	32.20	16.1
10	बागपत	छकरौली रोड, कोतानारोड, खेखरा तहसील के पास	66.53	33.265
11	बिजनौर	चॉदपुर रोड, मेरठ रोड	79.40	39.7
12	शाहजहांपुर	आवास विकास कालोनी	66.06	33.03
13	मुरादाबाद	सिरखोई बुढे,पॉकेट ई0 सी0 बी0 डी0+ए–2	422.28	211.14
14	फिरोजाबाद	पचवन् गढ छत्रपति	82.53	41.265
15	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फरनगर	40.59	20.295
16	औरेया	खानपुर पुराने कलेक्टर के पास	94.97	47.485
17	(1) बदायूॅ	बिरौली, दातागंज	54.03	27.015
	(2) बदायूॅ	बदायूॅ	83.40	41.7
18	बरेली	रामगंगा, सनऊ	100.32	50.16
19	इटावा	राहतपुर	56.11	28.055
20	सहारनपुर	मावीकलां,शेखपुर कदीम	152.27	76.135
		योग–	1879.63	**939.815**

(रू0 नौ करोड़ उन्तालीस लाख इक्यासी हजार पॉच सौ मात्र)

2— स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था (जल निगम, उ0प्र0) को एकमुश्त उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि पी.एल.ए., बैंक खाता तथा डाकघर में नही रखी जायेगी। धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

3— स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

4— कार्यदायी संस्था (जल निगम उ0प्र0) द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था (जल निगम उ0प्र0) का होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

5— कार्यदायी संस्था (जल निगम, उ0प्र0) द्वारा प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग, (नियोजन विभाग) द्वारा आंकलित लागत की सीमा में ही ओवरहेड टैंक का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।

6— स्वीकृत की जा रही धनराषि का उपयोग कार्यदायी संस्था द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 में ही करके उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा—निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

8— शासनादेश सं0—5376/नौ—5—2008—153 सा0/2008,दिनांक 24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या—7931/नौ—5—2009—153 सा0/2008टी.सी., दिनांक—04—12—2009 द्वारा जारी किये गये दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9— योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ओवरहेड टैंक की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता कार्यदायी संस्था (जल निगम,उ0प्र0) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—2011 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत— 60—अन्य शहरी विकास योजनायें—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—03—मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना—48—पूँजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान, के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—ई—3—611/दस—2011, दिनांक 30 मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या– 274 (1)/26–ब0प्र0–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/सूचना/कार्यक्रम कियान्वयन विभाग,उ0प्र0 शासन।

4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।

6– **उपाध्यक्ष,** विकास प्राधिकारण, मथुरा, रामपुर, कानपुर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद फिरोजाबाद, मुजफ्रनगर, बरेली, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

7– **कोषाधिकारी,** जनपद–मथुरा, रामपुर, फतेहपुर, एटा, मैनपुरी, कांशीरामनगर, कानपुर, बुलन्दशहर, पीलीभीत, बागपत, बिजनौर, शाहजहॉपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फर नगर, औरैया, बदायूँ, बरेली, इटावा, सहारनपुर, उ0प्र0।

8– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।

9– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

10– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

11– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

12– निदेशक, राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा) उ0प्र0, लखनऊ।

13– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, (श्री जमील अख्तर) मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।

14– **प्रबन्ध निदेशक,** जल निगम, उ0प्र0, 6–राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

15– **निदेशक,** आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ को इस आषय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश संबंधित जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों/कोषाधिकारियों /विकास प्राधिकरणों को **फैक्स/ई–मेल** के माध्यम से प्रेषित करें।

16– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3.

17– नियोजन अनुभाग–3/4./एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

18– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।

'फैक्स/ई–मेल द्वारा'

आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष: : 0522–2284880, 2627021,
फैक्स: 0522–2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्याः 294 / आ.ब.–1 / निदेशक / 11 दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

प्रेषक,

एस.सी.मिश्र,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र.।

'आवश्यक'

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय : मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रथम चरण के आवासीय परिसरों के विकास से सम्बन्धित अतिरिक्ति कार्यों के आगणन प्रस्तुत करने की प्रकिया के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1139 / आठ– 2–2011–3एच0बी0 (25) / 11 दिनांक 16 अप्रैल, 2011

महोदय,

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रथम चरण के आवासीय परिसरों के विकास से सम्बन्धित अतिरिक्ति कार्यों के आगणन प्रकिया के सम्बन्ध में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा एक प्रकिया (Guide-lines) तय की गयी है, जोकि साथ में सँलग्न कर इस आशय के साथ में प्रेषित है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या 289 / आ.ब.–1 / निदेशक / 11 दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के बिन्दु संख्या–4 के सम्बन्ध में उक्त Guide-lines के अनुरूप कार्यवाही करते हुए, तीन दिन के अन्दर दो–दो प्रतियों में विस्तृत आगणन शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, इसकी एक प्रति 'आवास–बन्धु' को भी उपलब्ध करायी जाये।

- वित्तीय वर्ष 2010–11 में (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत 'सरेण्डर' की गयी कुल धनराशि का विवरण भी 03 दिन में, उपलब्ध करायें।

सँलग्नक : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा
निर्गत Guide-lines दि0 21.04.2011

भवदीय,

25/4/11

(एस.सी.मिश्र)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग), उ.प्र. शासन को तद्नुसार अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सचिव–सुश्री मंजु चन्द्र (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग), उ.प्र. शासन को तद्नुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप सचिव–एच0पी0सिंह (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग), उ.प्र. शासन को तद्नुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस.सी.मिश्र)
निदेशक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(U.P. HOUSING & DEVELOPMENT BOARD)
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ–226001

संख्याः /एम–51/ दिनांक

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक
वृत्त–1/2/3/4/5/6/7/वृन्दावन/ग्लोबल सेल
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ/मेरठ/कानपुर/मुरादाबाद/आगरा/गाजियाबाद।

विषयः **मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण के आवासीय परिसरों के विकास से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्यो के ऑगणन प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया के सम्बन्ध में।**

संदर्भः प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन का शासनादेश संख्या–1139/आठ–2–2011–3एच0बी0 (25)/11 दिनांक 16 अप्रैल, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश के माध्यम से मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कियान्वयन हेतु आवासीय परिसरों के विकास कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश के माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना के स्थल निरीक्षणों में कतिपय जनपदों में विकास कार्यो में एकरूपता रखने की दृष्टि से मदवार मानकों का निर्धारण किया गया है।

उक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में योजना के परिसरों को पूर्णतया विकसित करने की दृष्टि से **अतिरिक्त मदों के कार्यो** हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था शासन के स्तर से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा कराने हेतु विस्तृत ऑगणन (डी0पी0आर0) प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के अनुरूप **आन्तरिक विकास कार्य** शीर्षक के अन्तर्गत फिलहाल क्रमांक–1, 4, 5, 6 व 7 पर अंकित मदों के सापेक्ष प्राविधान करना उपयुक्त है।

उक्त शासनादेश के **आन्तरिक विकास कार्य** शीर्षक के अन्तर्गत अंकित अतिरिक्त कार्यो के लिए धनराशि की मॉग हेतु प्रस्तुत करने वाले विस्तृत ऑगणन में निम्नलिखित मदों को उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत सम्मिलित करने की आवश्यकता नही है :–

(अ) क्रमांक–2, 3 व 9 पर अंकित मदों के कार्य शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–08–153सा/08 दिनांक 24.07.2008 के माध्यम से परियोजना की मूल स्वीकृत लागत (रु0 1.75 लाख प्रति आवास) के अन्तर्गत समाविष्ट माने जायेंगें।

(ब) क्रमांक–8 पर अंकित मदों के कार्य हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नहीं की जानी है।

(स) क्रमांक–9 पर अंकित मदों हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था परियोजना की मूल स्वीकृत लागत की कन्टीन्जेन्सी के अन्तर्गत तथा शासनादेश संख्या– 551/आठ– 2–2011–30 मा.का.यो./11 दिनांक 26.02.2011 के अनुसार सुनिश्चित कराने की व्यवस्था निर्धारित हो चुकी है।

(द) क्रमांक–10 पर बाउण्ड्रीवाल के सम्बन्ध में अनिश्चितता एवं मितव्ययता के दृष्टिगत इसके निर्माण हेतु कार्यवाही अलग से करनी उपयुक्त रहेगी।

(य) क्रमांक–11, 12 व 13 के बिन्दु धनराशि की आवश्यकता से सम्बन्धित नही हैं।

(र) उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में आन्तरिक विकास कार्य शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक–1, 4, 5, 6 व 7 पर अंकित मदों के अतिरिक्त भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य किसी मद हेतु यथा–रूफ ट्रीटमेन्ट, स्टेअर केस (ममटी) का डोर–शटर, जल संयोजन हेतु फीडर लाइन आदि हेतु शासन द्वारा धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का स्कोप नही है।

(ल) उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में ट्रंक विकास कार्य शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी मद के लिए भी शासन द्वारा धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का स्कोप नही है।

अतः उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में यथासम्भव एकरूपता रखने हेतु परिसरों को पूर्णतया विकसित करने की दृष्टि से **अतिरिक्त मदों के कार्यो** हेतु ऑगणन (डी0पी0आर0) की रिपोर्ट में मात्र क्रमांक–1, 4, 5, 6 व 7 पर अंकित मदों के सापेक्ष प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट आख्या दी जानी है। यथा–

सड़क (क्रमांक–1)

अ– योजना परिसर के ले–आउट में 9.00 मी0 अथवा अधिक चौड़ी सड़कें नियोजित होने पर उनके प्राविधान का उल्लेख करना है तथा अन्यथा स्थिति में अंकित करना है कि परिसर के ले–आउट में 9.00 मी0 अथवा अधिक चौड़ी सड़कें नियोजित नहीं हैं।

ब– योजना परिसर में 6.00 मी0 व अधिक, अर्थात् 9.00 मी0 से कम चौड़ी सड़कों हेतु उनके प्राविधान का उल्लेख करना है तथा अन्यथा स्थिति में अंकित करना है कि परिसर के ले–आउट में 6.00 मी0 व अधिक, अर्थात् 9.00 मी0 से कम चौड़ी सड़कें नियोजित नहीं हैं।

स– योजना परिसर में 6.00 मी0 से कम चौड़ी सड़कों हेतु उनके प्राविधान का उल्लेख करना है।

द– सड़क से ब्लाक को जोड़ने वाली एप्रोच पर भी बेस कंक्रीट के साथ 80 मिमी0 टाइल्स लगाने हेतु प्राविधान का उल्लेख करना है।

यदि उपरोक्त अ, ब, स अथवा द का कार्य पूर्व में सम्पादित हो चुका हो तो तद्नुसार उस बिन्दु में वस्तुस्थिति का उल्लेख करना है तथा वित्तीय प्राविधान नहीं लिया जायेगा।

पार्क एवं आरबोरीकल्चर (क्रमांक–4)

अ– योजना परिसर में पार्को का निर्माण भूतल से 90 सेमी0 ऊँची चहारदीवारी हेतु प्राविधान का उल्लेख करना है। पार्क में अन्य किसी सुविधाओं हेतु आवास विभाग द्वारा धनराशि मिलने का स्कोप नही है। अतः अन्य सुविधाओं हेतु ऑगणन में प्राविधान करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सुविधायें जनपद स्तर पर स्थानीय निकाय द्वारा/अन्य स्रोतों से विचारणीय हो सकती हैं।

ब– पार्क के अन्दर वृक्षारोपण हेतु यथा निर्देशित आवश्यक प्राविधान का उल्लेख करना है। यदि पूर्व में यह कार्य हो चुका हो तो तद्नुसार अंकित करते हुए धनराशि का प्राविधान करना आवश्यक नही है।

स– यही स्थिति 6.00 मी0 से अधिक चौड़ी सड़कों पर भी एक पटरी पर फिजिबिल्टी के अनुसार वृक्षारोपण करने के संदर्भ में उल्लिखित की जायेगी।

ड्रेनेज (क्रमांक–5)

अ– योजना परिसर में निर्मित नालियों की सफाई के लिए व्यवस्था ऑकलित करते हुए नालियों को कवर करने हेतु आवश्यक प्राविधान करना है जिसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना है।

ब– नाली की साईज 45X45 सेमी0 से अधिक होने पर नाली को आर0सी0सी0 स्लैब से कवर करने हेतु आवश्यक प्राविधान करना है जिसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना है।

बलाक्स के चारों ओर का विकास (क्रमांक–6)

योजना परिसर में भवनों के ब्लाक्स के मध्य एवं चारों ओर उपलब्ध रिक्त भूमि के विकास करने के लिए सेवाओं के रख–रखाव, सफाई व मरम्मत की सुविधा के दृष्टि से सैण्ड बेस व सैण्ड फिलिंग के साथ 60 मिमी0 इन्टर–लाकिंग टाइल्स लगायी जायेगी। यदि पूर्व में यह कार्य जनपद स्तर पर अवस्थापना मद से अथवा अन्य स्रोत से सम्पादित हो चुका हो अथवा धनराशि की व्यवस्था हो गयी हो तो तद्नुसार अंकित करते हुए धनराशि का प्राविधान करना आवश्यक नही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली व रोजमर्रा की वस्तुओं हेतु दुकानें (क्रमांक–7)

अ– जिन पाकेटों में एक ही पाकेट में 1000 से अधिक भवनों को नियोजित किया गया है उनमें कम से कम दो स्थानों पर तीन–तीन दुकानों का प्राविधान का उल्लेख किया जाना है।

ब– जिन जनपदों में एक से अधिक पाकेटों में भवन नियोजित हैं, उनमें जिस पाकेट में 300 से अधिक भवन नियोजित हैं, उस पाकेट में एक स्थान पर तीन दुकानों का का उल्लेख किया जाना है।

स– जिन जनपदों में एक से अधिक पाकेटों हैं तथा प्रत्येक पाकेट में 300 से कम भवन हैं, ऐसी स्थिति में आसपास के पाकेटों को समायोजित मानते हुए भूमि की उपलब्धता के सापेक्ष प्रत्येक 300 भवनों पर किसी एक पाकेट में तीन दुकानों का प्राविधान रखते हुए तद्नुसार उल्लेख किया जाना है। यहॉ यह भी विचारणीय है कि यदि आस–पास की लोकलिटी में रोजमर्रा की दुकानों की उपलब्धता हो तो अनावश्यक रूप से छोटे पाकेटों में दुकानों की व्यवस्था न करके तद्नुसार उल्लेख भी किया जा सकता है।

द– उक्त तीन दुकानों में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का कुर्सी क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर तथा ऊॅचाई 3.60 मी0 रखी जायेगी। उचित दर के अलावा अन्य दो दुकानें इस प्रकार समायोजित की जानी हैं कि उक्त तीनों दुकानों की कुल निर्माण लागत रु0 7.00 लाख के अन्तर्गत रहे। सुलभ संदर्भ हेतु कुर्सी क्षेत्रफल दर पर अनुमानित लागत रु0 7.00 लाख के अन्तर्गत आने वाली तीन नग दुकानों के मानचित्र का नमूना संलग्न प्रेषित है।

यदि जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त दुकानों की अपेक्षा की जाती है तो उनके लिए वांछित धनराशि की व्यवस्था जनपद स्तर पर ही कराना विचारणीय रखा जा सकता है।

प्रश्नगत ऑगणन की आख्या में उपरोक्तानुसार प्राविधानों का उल्लेख करते हुए शासनादेश के क्रम में योजना परिसर के आन्तरिक विकास के अतिरिक्त मदों हेतु वांछित धनराशि के आवंटन हेतु भी संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित किया जाना हैं। ऑगणन के Abstract of Cost में भी क्रमशः उपरोक्तानुसार मदों के सापेक्ष धनराशि का ऑकलन करके उल्लिखित किया जाना हैं तथा तद्नुसार ही Bill of Quantity व Details of Measurements लगाते हुए ले–आउट प्लान पर सम्बन्धित सेवाओं को अंकित करते हुए संलग्न किया जाना है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अपने अधीनस्थ जनपदों के अलग–अलग ऑगणन तैयार करके दो–दो प्रतियों में विस्तृत ऑगणन (डी0पी0आर0) के स्वच्छ प्रस्ताव बिना अनुस्मरण की प्रतीक्षा किये एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(एम0पी0वैश्य)
नोडल अधिकारी

पृ0सं0 1828 / / दिनांक 21.4.2011

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को दिनांक 21.04.11 को सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, के कक्ष में विषयगत संदर्भ में हुए विचार–विमर्श के क्रम में **संलग्नक** सहित सूचनार्थ प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, (अनुभाग–2), उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, आवास बन्धु, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

21.04.11
नोडल अधिकारी

कन्वीनेन्ट दुकानों का निर्माण कार्य
कुर्सी क्षेत्रफल की गणना

क0 सं0	विवरण	नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	ऊचाई	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
1	दुकान सं0–1	1 X 1	4.23	3.46	–	14.64 व0मी0
2	दुकान सं0–1	1 X 1	4.46	5.46	–	24.35 व0मी0
3	दुकान सं0–1	1 X 1	4.23	3.46	–	14.64 व0मी0
4	बाराम्दा	1 X 1/2	1.77	4.46	–	3.95 व0मी0
		2 X 1/2	1.77	4.46	–	7.89 व0मी0
					कुल	**65.47 व0मी0**

लो0नि0वि0 द्वारा प्लिन्थ एरिया दर दिनांक 1.4.10 कुर्सी क्षेत्रफल दर अनुसार

क0सं0	मद का विवरण	दर (प्रति व0 मी0 हेतु)
1.	पहली मंजिल हेतु	रू0 6780.00
2.	सामान्य ऊचाई 2.90 मी0 से ऊपर प्रत्येक 0.30 मी0 ऊचाई के लिए (4.20–3.0 / 0.30 X 220.00)	रू0 880.00
3.	सामान्य कुर्सी ऊचाई 0.60 मी0 से अधिक प्रत्येक 0.30 मी0 ऊचाई के लिए (केवल पहली मंजिल के लिए) (0.75–0.60 / 0.30 X 220.00)	रू0 110.00
4.	10 टन/व0मी0 भार वहन क्षमता से कम क्षमता वाली मिट्टी पर नीव के निर्माण के लिए	रू0 330.00
5.	भूकम्प रोधी हेतु	रू0 350.00
6.	दीमक प्रतिरोधी के लिए	रू0 200.00
	योग :–	**रू0 8650.0**
7.	आन्तरिक विद्युतीकरण हेतु 8650.00 X 12.5 प्रतिशत	रू0 1081.25
8.	आन्तरिक स्थल सुधार के लिए 8650.00 X 5 प्रतिशत	रू0 432.50
	योग :–	**रू0 10163.75**

जनरल ऐबस्ट्रैक्ट आफ कास्ट

क0सं0	विवरण	मात्रा/क्षेत्रफल	दर	लागत
1	2	3	4	5
1	कुर्सी क्षेत्रफल	65.47 व0मी0	10163.75	665420.71
2	कन्टीनजेन्सीज	–	2.00 प्रतिशत	13308.41
			कुल योग	**678729.12**

अर्थात् रू0 6.79 लाख

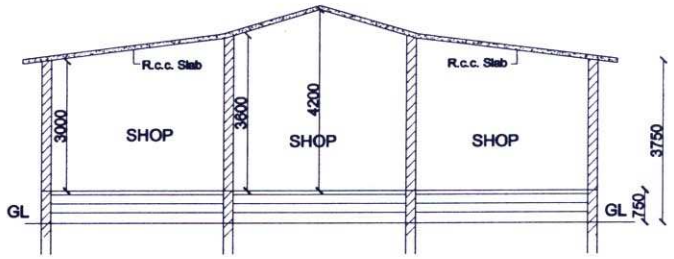

SECTION AT B-B1

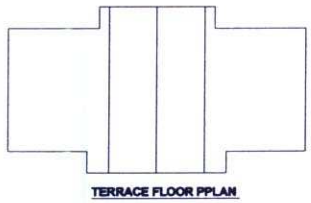

TERRACE FLOOR PPLAN

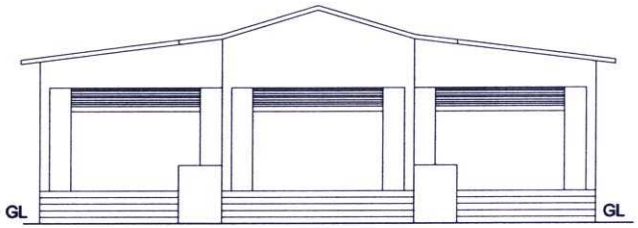

FRONT ELEVATION

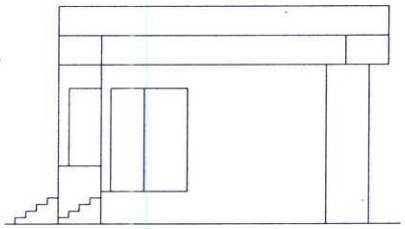

SIDE ELEVATION

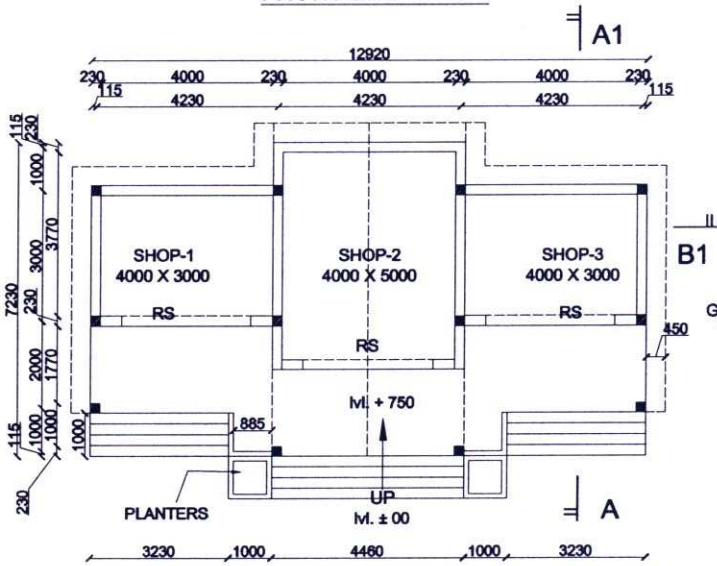

GROUND FLOOR PLAN

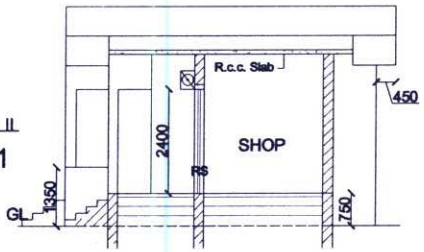

SECTION AT A-A1

UPAVP
ARCHITECTURAL AND PLANNING SECTION
NEELGIRI COMPLEX, INDIRA NAGAR
LUCKNOW-226016
ISO-9001:2000
Email : uphdb@sancharnet.in

NOTE -

1.ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. RS (Rolling Shutter) = 3000 x 2400
3. R.C.C. column = 230 x 230

DRG. TITLE
LAY-OUT PLAN FOR CONVINENT SHOPS

PROJECT
MANYAWAR SHRI KANSHIRAM JI SHAHARI GARIB AVAS YOJNA, UTTAR PRADESH

DATE : 21.04.2011

SCALE: 1000 500 0 1000 3000 MM

VIKAS MOGHA DIP. ARCH. ARCH. ASSTT.	
HEMA SHAH DIP. ARCH. ASSTT. ARCH. PLANNER	
SANJEEV KASHYAP M.PLANNING (ENVIRONMENTAL PLANNING),A.I.T.P. ARCHITECT PLANNER	
D. K. JAIN M.U.R.P., A.I.T.P. CHIEF ARCHITECT PLANNER	
M. V. S. RAMIREDDY I.A.S. AVAS AYUKT	

महत्वपूर्ण

संख्या–1225 /आठ–2–11–64 मा0का0यो0 / 10

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2– **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 29 अप्रैल, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) में निर्मित भवनों में सीलन रोकने के लिए रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या–3085 / आठ–2–2011–79 मा0का0यो0 / 10 दिनांक 11–01–2011 द्वारा भवनों में सीलन रोकने के लिए रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य अवस्थापना मद से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु प्रकरण की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि अनेक जनपदों में उक्त कार्य सम्पादित नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में आवास विकास परिषद से प्राप्त सूचना संलग्न है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वान्चल विकास निधि तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि से आच्छादित जनपदों में यह कार्य, जैसा कि मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उक्त निधियों से कराया जायेगा। अवशेष जनपदों में धनराशि की उपलब्धता की स्थिति से शासन को 02 मई, 2011 तक अवगत कराया जाये।

3– कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– /आठ–2–11, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रति समस्त संबंधितों को **फैक्स / ई–मेल** से प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) के भवनों रूफ ट्रीटमेन्ट की स्थिति एवं स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित पाकेट/भवनों का विवरण (04.01.11 तक)

क0 सं0	मंडल/ जनपद का नाम/	पाकेट की संख्या	पूर्ण भवनों की संख्या	निकाय को हस्तान्तरित भवनों की स्थिति			रूफ ट्रीटमेन्ट की व्यवस्था का विवरण	
				पाकेट की संख्या	हस्तान्तरित भवनों की संख्या	हस्तांतरण हेतु अवशेष भवनों की संख्या	वांछित धनराशि (रू0लाख)	वांछित धनराशि प्रबन्ध करने हेतु एक्सन प्लान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कौशाम्बी	4	1000	4	1000	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	चित्रकूट	1	1000	0	0	1000	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	बागपत	2	464	2	464	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
4	मुजफ्फरनगर	1	600	1	600	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	फतेहपुर	4	1284	4	1284	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
6	कन्नौज	7	1500	7	1500	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
7	महोबा	5	1500	5	1500	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
8	हमीरपुर	4	1500	3	1068	432	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
9	जालौन	2	1500	2	1500	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
10	बिजनौर	2	1416	0	0	1416	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
11	ज्योतिबाफूलेनगर	10	1500	10	1500	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
12	महामायानगर	1	1500	0	0	1500	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
13	गाजियाबाद	1	1376	1	1376	0	0.00	रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है।
14	फर्रूखाबाद	3	1500	1	36	1464	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
15	मैनपुरी	3	1500	3	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
16	एटा	5	1500	5	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
17	कांशीरामनगर	3	1500	3	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
18	ललितपुर	6	1500	6	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
19	बस्ती	3	1000	3	1000	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
20	हरदोई	1	1500	1	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
21	सीतापुर	1	1500	1	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
22	गाजीपुर	3	1500	3	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
23	देवरिया	7	1500	7	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
24	महाराजगंज	5	804	5	804	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
25	बलिया	6	1500	4	696	804	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
26	जौनपुर	4	1500	4	1500	0	0.00	धनराशि की व्यवस्था है। कार्य होना है।
27	रमाबाई नगर	1	1000	1	1000	0	0.00	आंशिक धनराशि उपलब्ध। कार्य होना है।
28	आजमगढ़	4	1500	2	804	696	0.00	धनराशि उपलब्ध। जिलाधि0 सहमत नही।
29	मऊ	11	1500	11	1500	0	0.00	धनराशि उपलब्ध। जिलाधि0 सहमत नही।
30	कुशीनगर	6	1000	6	1000	0	57.33	प्राक्कलन मण्डलायुक्त को प्रस्तुत।
31	सिद्धार्थनगर	1	1000	1	1000	0	57.33	प्राक्कलन जिलाधिकारी को प्रेषित।
32	संतकबीरनगर	1	1000	1	1000	0	57.33	प्राक्कलन जिलाधिकारी को प्रेषित।
33	इटावा	3	1500	3	1500	0	64.16	
34	औरैया	4	1500	4	1500	0	64.16	
35	प्रतापगढ़	4	1500	4	1500	0	85.31	
36	गोण्डा	11	1500	11	1500	0	85.31	
37	बलरामपुर	10	1000	10	1000	0	57.33	
38	बहराइच	3	1500	3	1500	0	85.31	
39	श्रावस्ती	14	1000	14	1000	0	57.33	
40	सुल्तानपुर	2	1500	2	1500	0	85.31	
41	अम्बेडकरनगर	6	1500	6	1500	0	85.31	
42	बाराबंकी	9	1500	9	1500	0	79.85	
43	शाहजहाँपुर	1	1500	1	1500	0	64.16	
44	बदायूँ	9	1500	2	240	1260	85.31	
45	पीलीभीत	3	1500	2	924	576	85.31	
46	मिर्जापुर	4	1500	4	1500	0	85.31	
47	संतरविदासनगर	1	1500	1	1500	0	85.31	
48	सोनभद्र	7	1500	7	1500	0	85.31	
49	लखीमपुर खीरी	5	1500	5	1500	0	67.57	
50	चन्दौली	8	1500	8	1500	0	85.31	
	महायोग	222	67444	203	58296	9148	1564.96	

संख्या– 318 का०पी / आठ–2–2011–70मा0का0यो0 / 11

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा, देवरिया, बलिया, महराजगंज, सन्त कबीरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, बदायूँ, बिजनौर, बहराइच, चन्दौली, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ, फर्रूखाबाद, महामायानगर, हरदोई सिद्वार्थनगर, जे0पी0नगर, प्रतापगढ, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, संत रविदास नगर, इटावा, औरैया, कन्नौज, ,रमाबाई नगर, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन(उरई), मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, चित्रकूट, बॉदा, मुरादाबाद, बरेली, झॉसी, रायबरेली, सहारनपुर, कानपुर, आगरा, फैजाबाद, मेरठ,वाराणसी, बुलन्दशहर, इलाहाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, सीतापुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2011**

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रथम चरण में निर्मित भवनों के आवासीय परिसरों के आन्तरिक विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1139 / आठ–2–2011–3एच0बी0 (25) / 2011, दिनांक 16–4–2011 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रथम चरण में निर्मित भवनों के आवासीय परिसरों में आन्तरिक विकास कार्यों के लिए जारी मानकीकृत विशिष्टियों के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों से प्राप्त प्रायोजना प्रस्तावों में आंकलित कुल लागत रू0 49,69,88,000 / – के सापेक्ष अवशेष आवश्यकता की धनराशि **रू0 37,08,37,000 / – (रूपये सेंतीस करोड आठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधींन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से

आहरित कर कार्यदायी संस्थाओं (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं संबंधित विकास प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो) को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में निर्मित भवनों के परिसरों में आन्तरिक विकास कार्यों तथा आवासों में निवास करने वालों की सुविधा के लिए सार्वजनिक वितरण वितरण प्रणाली एवं रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए दुकानों के निर्माण कराया जायेगा।

(4) जिन जनपदों/विकास प्राधिकरणों की अवस्थापना निधि में धनराशि उपलब्ध है उनमें आन्तरिक विकास कार्य धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक उक्त निधियों से वहन किया जायेगा। **(संलग्नक सारणी के प्रस्तर–4 के अनुसार)**

(5) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा मदवार आंकलित/संस्तुत धनराशि का विवरण शासन से प्राप्त कर संबंधित विकास प्राधिकरणों/ निर्माण इकाईयों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एक माह में करके विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) निर्माण सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता मानकों के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—2012 के आय—व्ययक के अनुदान ''संख्या—2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—4217— आयोजनागत शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय—60—अन्य शहरी विकास योजनायें— 800—अन्य ब्यय—03—मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना—35—पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या—ई—8—यू0ओ0 1412/दस—11—दिनांक 31 मई 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव ।

संख्या- 310 ...(1)/आठ-2-2011-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उ0प्र.0 शासन।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश।
7- कोषाधिकारी, जनपद-गोण्डा, देवरिया, बलिया, महराजगंज, सन्त कबीरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, बदायूॅ, बिजनौर, बहराइच, चन्दौली, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ,फर्रूखाबाद, महामायानगर, हरदोई सिद्वार्थनगर, जे0पी0नगर, प्रतापगढ, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, संत रविदास नगर, इटावा, औरैया, कन्नौज,,रमाबाई नगर, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन(उरई), मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, चित्रकूट, बॉदा, मुरादाबाद, बरेली, झॉसी, रायबरेली, सहारनपुर, कानपुर, आगरा, फैजाबाद, मेरठ, वाराणसी, बुलन्दशहर, इलाहाबाद, अलीगढ, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, सीतापुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
10- विशेष कार्याधिकारी, सूचना, (श्री जमील अख्तर) मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3.
12- निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।
13- नियोजन अनुभाग-3/4./एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
14- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 318 का0का0/आठ-2-2011-70मा0का0यो0/11 दिनांक 3/मई, 2011 का संलग्नक-

(धनराशि लाख रूपये में)

कं	जनपद का नाम	आंकलित धनराशि	जनपदों/प्राधिकरणोंकी अवस्थापना निधि से वहन की जाने वाली धनराशिं	शासन द्वारा आवंटित धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	गोण्डा	139.47	00	139.47
2	देवरिया	72.82	19.18	53.64
3	बलिया	74.18	00	74.18
4	महराजगंज	78.44	00	78.44
5	सन्त कबीरनगर	66.66	00	66.66
6	गाजीपुर	47.48	00	47.48
7	मैनपुरी	64.86	64.86	00
8	बदायूँ	25.04	00	25.04
9	बिजनौर	21.07	21.07	00
10	बहराइच	51.30	51.30	00
11	चन्दौली	74.46	00	74.46
12	जौनपुर	91.94	48.94	43.00
13	अम्बेडकरनगर	167.81	00	167.81
14	कुशीनगर	63.46	00	63.46
15	बस्ती	**71.33**	15.33	56.00
16	आजमगढ	86.61	64.78	21.83
17	फर्रूखाबाद	38.41	00	38.41
18	महामाया नगर	123.09	33.33	89.76
19	हरदोई	53.30	53.30	00
20	सिद्वार्थ नगर	78.71	00	78.71
21	जे0पी0नगर	95.35	00	95.35
22	प्रतापगढ	109.07	109.07	00
23	श्रावस्ती	92.62	00	92.62
24	बलरामपुर	96.22	00	96.22
25	लखीमपुर खीरी	111.28	111.28	00
26	ललितपुर	54.74	00	54.74
27	संत रविदासनगर	93.03	00	93.03
28	इटावा	69.07	69.07	00
29	औरैया	67.77	00	67.77
30	कन्नौज	94.89	00	94.89
31	रमाबाई नगर	127.25	00	127.25
32	फतेहपुर	62.54	00	62.54
33	हमीरपुर	101.76	00	101.76
34	महोबा	74.02	00	74.02

35	जालौन (उरई)	32.02	32.02	00
36	मऊ	87.52	00	87.52
37	मिर्जापुर	117.92	29.71	88.21
38	सोनभद्र	125.67	00	125.67
39	कौशाम्बी	25.45	00	25.45
40	चित्रकूट	24.98	00	24.98
41	बॉदा	117.20	0.20	117.00
42	मुरादाबाद	196.86	00	196.86
43	बरेली	33.47	33.47	00
44	झॉसी	30.21	30.21	00
45	रायबरेली	73.44	28.77	44.67
46	सहारनपुर	106.22	55.00	51.22
47	कानपुर	255.14	241.23	13.91
48	आगरा	28.19	00	28.19
49	फैजाबाद	312.72	13.86	298.86
50	मेरठ	6.95	—	**6.95**
51	वाराणसी	50.35	45.00	5.35
52	बुलन्दशहर	19.17	00	19.17
53	इलाहाबाद	9.28	9.28	00
54	अलीगढ	69.72	30.00	39.72
55	फिरोजाबाद	93.97	00	93.97
56	उन्नाव	75.08	25.00	50.08
57	सुल्तानपुर	138.56	00	138.56
58	सीतापुर	81.34	26.25	55.09
59	रामपुर	118.40	00	118.40
	योग	**4969.88**	**1261.51**	**3708.37**

निर्गत धनराशि रूपये सैंतीस करोड़ आठ लाख सैंतीस हजार मात्र)

(एच0पी0सिंह)
उप सचिव

संख्या– 460 का0यो0 /आठ–2–2011–70मा0का0यो0 / 11

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत, बाराबंकी, शाहजहाँपुर एवं गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2011**

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रथम चरण में निर्मित भवनों के आवासीय परिसरों के आन्तरिक विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1139 / आठ–2–2011–3एच0बी0 (25) / 2011, दिनांक 16–4–2011 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रथम चरण में निर्मित भवनों के आवासीय परिसरों में आन्तरिक विकास कार्यों के लिए जारी मानकीकृत विशिष्टियों के अनुसार जनपद–पीलीभीत, बाराबंकी एवं शाहजहाँपुर के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से प्राप्त प्रायोजना प्रस्तावों तथा आवास बन्धु के माध्यम से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के प्रायोजना प्रस्तावों में आंकलित कुल लागत **रू0 247.10 लाख** के सापेक्ष अवशेष आवश्यक धनराशि **रू0 1,90,34,000 / – (रूपये एक करोड नब्बे लाख चौतीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र	जनपद का नाम	पी.एफ.ए.डी. द्वारा आंकलित धनराशि	जनपदों की अवस्थापना निधि से वहन की जाने वाली धनराशिं	शासन द्वारा आवंटित धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	पीलीभीत	103.34	4.00	99.34
2	बाराबंकी	35.37	9.00	26.37
3	शाहजहाँपुर	43.76	43.76	00
4	गोरखपुर	64.63	**00**	64.63
	योग	**247.10**	**56.76**	**190.34**

(रूपये एक करोड नब्बे लाख चौतीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में निर्मित भवनों के परिसरों में आन्तरिक विकास कार्यों तथा आवासों में निवास करने वालों की सुविधा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए दुकानों का निर्माण कराया जायेगा।

(4) जिन जनपदों की अवस्थापना निधि में धनराशि उपलब्ध है उनमें आन्तरिक विकास कार्य धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक उक्त निधियों से वहन किया जायेगा। **(उक्त सारणी के कालम–4 के अनुसार)।**

(5) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा मदवार आंकलित/ संस्तुत धनराशि का विवरण शासन से प्राप्त कर निर्माण इकाईयों को तत्काल उपलब्ध कराया कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग कार्यदायी संस्था द्वारा एक माह में करके विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) निर्माण सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता मानकों के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में उक्त कार्यों की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी तथा वास्तविक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान "संख्या–2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4217–(आयोजनागत) शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–60–अन्य शहरी विकास योजनायें– 800–अन्य ब्यय–03–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या—ई—8—1563 / दस—11 दिनांक 17 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)

सचिव ।

संख्या— 460 व्या0 2ी0 (1) / आठ—2—2011—तद्‌दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2— प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

3— प्रमुख सचिव, वित्त / नियोजन / कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उ0प्र.0 शासन।

4— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5— आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6— उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

7— कोषाधिकारी, जनपद—पीलीभीत, बाराबंकी, शाहजहाँपुर एवं गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

8— मण्डलायुक्त,. फैजाबाद, बरेली एवं गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।

10— मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर) ।

11— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2 / वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—8

12— निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।

13— नियोजन अनुभाग—3 / 4. / एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

14— आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1

15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)

उप सचिव।

संख्या– 722 /26–ब0प्र0–2011–104मा.का.यो./11

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर, प्रतापगढ, बाराबंकी, मैनपुरी, औरैया, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, शाहजहॉपुर, इलाहाबाद सोनभद्र, अलीगढ, आगरा,, कांशीराम नगर, महामायानगर, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, सन्त रविदास नगर, उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊः दिनांक , 30 , सितम्बर, 2011

विषय– मा0 श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित भवनों में जलापूर्ति के लिए उच्च जलाशय (ओवरहेड टैंक) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के भवनों में पेयजल की आपूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक के निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए उ0प्र0 जल निगम से 19 जनपदों के प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की कुल आंकलित लागत **रू0 23,66,55,600/– (रूपये तेईस करोड़ छियासठ लाख पचपन हजार छः सौ मात्र)** की धनराशि संलग्न जनपदवार/कार्यवार विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत धनराशि संबंधित जिलाकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था (जल निगम उ0प्र0) को एकमुश्त उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि पी.एल.ए., बैंक खाता, डाकघर में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) कार्यदायी संस्था (जल निगम उ0प्र0) द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग (नियोजन विभाग) द्वारा आंकलित लागत की सीमा में ही ओवरहेड टैंक का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कार्यदायी संस्था द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में करके उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./टी. एस.पी. हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) शासनादेश संख्या–5376/नौ–5–2008–153सा0/2008 दिनांक 24–7–2008 तथा शासनादेश सं0–7931/नौ–5–2009–153सा0 /2008 टी.सी. दिनांक 4–12–2009 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ओवरहेड टैक की सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता कार्यदायी संस्था (जल निगम उ0प्र0) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(9) इस शासनादेश के संलग्नक के कालम–6 में उल्लिखित धनराशि संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से निर्माण एजेन्सी (उ0प्र0 जल निगम) को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **"4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनागत)–60–अन्य शहरी विकास योजनायें–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना–35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– ई–3–1776/दस–2011, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 722 (1)/26–ब0प्र0–2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4– प्रमुख सचिव, वित्त/आवास/नगर विकास/कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

5– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6– कोषाधिकारी, जनपद–बलरामपुर, प्रतापगढ, बाराबंकी, मैनपुरी, औरैया फिरोजाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, शाहजहॉपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र, अलीगढ, आगरा, कांशीरामनगर,महामाया नगर, सीतापुर, मुजफ्फर नगर, सन्त रविदास नगर उ0प्र0।

7– उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद, वाराणसी इलाहाबाद, अलीगढ आगरा, मुजफ्फर नगर, उ0प्र0।

8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

10– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।

11– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियत्रंण) अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग–3 एवं 4/ नगर विकास अनुभाग–5/आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 एवं 2, उ0प्र0शासन।

12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–722/26–ब0प्र0–2011–104मा.का.यो./11 दिनांक 30 सितम्बर, 2011का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	जनपद	उच्च जलाशय के निर्माण का स्थल एवं कार्य	आकंलित धनराशि	वि0 प्राधिकरणों की अवस्थापना निधि से वहन की जाने वाली धनराशि	आवंटित धनराशि
1	2	4	5	6	7
1	बलरामपुर	1–नगर पालिका परिषद बलरामपुर 1 नग नलकूप 50कि.ली. क्षमता का ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन, पम्पगृह का निर्माण (द्वितीय चरण)	34.74	—	34.74
		2–नगर पालिका परिषद उतरौला 1 नग नलकूप 50कि.ली. क्षमता का ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन, पम्पगृह का निर्माण। (द्वितीय चरण)	34.74	—	34.74
2	प्रतापगढ	कुण्डा नगर ओवरहैड टैंक 150 कि. ली.,20 मी0 स्टेजिंग, टयूवेल 1000एल. पी.एम, पम्पिंग प्लाट 20एच.पी. /50मी0 (द्वितीय चरण)	65.01	—	65.01
3	बारांबकी	1–नगर पंचायत देवा ओवरहैड टैंक 1नग, राइजिग मेन 150एम.एम.डाया, ट्यूबवेल का निर्माण (द्वितीय चरण)	27.69	—	27.69
		2–नगर पंचायत सिद्वौर ओवरहैड टैंक 1नग, राइजिग मेन 150एम.एम.डाया, ट्यूबवेल का निर्माण (द्वितीय चरण)	25.32	—	25.32
4	मैनपुरी	नगर पंचायत किशनी एवं कुशमरा ओवरहैड टैंक का निर्माण	35.526	—	35.526
5	औरैया	1–नगर पंचायत दिबियापुर ओवरहैड टैंक, 1ट्यूबवेल, राइंजिग मेन, पम्प हाउस, एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण (द्वितीय चरण)	88.52	—	88.52
		2–नगर पंचायत कखावतु ओवरहैड टैंक 1ट्यूबवेल, राइंजिग मेन, पम्प हाउस, एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण (द्वितीय चरण)	87.98	—	87.98
6	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद नगर (द्वितीय चरण)	269.05	—	269.05
7	कौशाम्बी	सिराथू नगर (द्वितीय चरण)	110.65	—	110.65
8	अम्बेडकर नगर	(प्रथम चरण) 1–रतनपुर में अवर जलाशय 50 कि.ली. /20 मी0 स्टेजिंग मेन,150मि.मी. डाया	18.00	—	18.00
		2–बीजेगॉव बरवा में अवर जलाशय 25 कि.ली./20 मी0 स्टेजिंग मेन,1050मि.मी.	9.67	—	9.67

		डाया			
		3–निबियहवा में अवर जलाशय–25 कि. ली./20 मी0 स्टेजिंग मेन,100मि.मी. डाया	9.67	––	9.67
		4– सीहमई में अवर जलाशय– 25 कि. ली./20 मी0 स्टेजिंग मेन,100मि.मी. डाया	9.67	––	9.67
		5– कटरिया याकूबपुर में जल निकासी हेतु ड्रेनेज का निर्माण एवं प्राकृतिक नाले की सफाई (450मी0)	55.70	––	55.70
		(द्वितीय चरण) 6– उष्मापुर में अवर जलाशय–100कि. ली./20 मी0 स्टेजिंग मेन, नलकूप–1/ 500एल.पी.एम. राइजिंग मेन 200मी. /150मि. मी. डाया पम्प हाउस–1, चाहर दीवारी 135 मी. इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प–12 नग	54.11	––	54.11
		7–आहाता में अवर जलाशय–200कि.ली. /20 मी0 स्टेजिंग, नलकूप–1/ 1000एल.पी.एम. राइजिंग मेन 200मी. /200मि.मी. डाया पम्पहाउस–1नग, चाहर दीवारी 142 मी., इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प–23 नग।	69.85	––	69.85
		8–वाजिदपुर प्रथम में अवर जलाशय–25 कि.ली./20 मी0 स्टेजिंग एवं राइजिंग मेन,100मि.मी. डाया	9.67	––	9.67
		9–वाजिदपुर द्वितीय में अवर जलाशय–25 कि.ली./20 मी0 स्टेजिंग एवं राइजिंग मेन,100मि.मी. डाया	9.67	––	9.67
		10–वाजिदपुर–प्रथम/द्वितीय, उष्मापुर एवं अहाता में ड्रेनेज का निर्माण (540मी0)	30.57	––	30.57
9	वाराणसी	वाराणसी मे अवर जलाशय का निर्माण (द्वितीय चरण)	**160.91**	**100.00**	**60.91**
10	शाहजहॉपुर	शाहजहॉपुर में अवर जलाशय का निर्माण (द्वितीय चरण)	61.18	––	61.18
11	इलाहाबाद	(द्वितीय चरण) 1–मऊआइमा में अवर जलाशय का निर्माण	47.96	––	47.96
		2–कोरांव नगर पंचायत में अवर जलाशय का निर्माण	238.87	200.00	38.87
		3– हण्डिया नगर क्षेत्र में अवर जलाशय का निर्माण	50.89	––	50.89
12	सोनभद्र	(द्वितीय चरण)			

		1–नगर पंचायत पिपरी में अवर जलाशय का निर्माण	54.42	––	54.42
		2– नगर पंचायत चोपन में अवर जलाशय का निर्माण	62.75	––	62.75
		3–नगर पंचायत दुद्धी में अवर जलाशय का निर्माण	30.46	––	30.46
		4–नगर पंचायत घोरावल में अवर जलाशय का निर्माण	41.32	––	41.32
		5–नगर पालिका परिषद रावर्ट्सगंज में अवर जलाशय का निर्माण	174.41	––	174.41
		6–नगर पंचायत दुद्धी में अवर जलाशय का निर्माण	105.03	––	105.03
13	अलीगढ	अतरौली में अवर जलाशय का निर्माण (द्वितीय चरण)	**79.49**	**40.00**	**39.49**
14	आगरा	पथौली में अवर जलाशय 150 कि.ली., 2 टयूबवेल 400ली., 2 पम्पिंग प्लान 15 वी.एच.पी., 150एम.एम. राइजिंग मेन, डी.आई. क्लास के के–7–1200 मी. एवं 100एम.एम. व्यास डी.आई. व्यास के– 7– 200 मी. (द्वितीय चरण)	**111.36**	**100.00**	**11.36**
15	कांशीराम नगर	नगर पंचायत पटियाली, गंज डुंडवारा, सोरो, सिखैरा में पेयजल योजना	225.94	––	225.94
16	महामाया नगर	सिकन्दरा मऊ में अवर जलाशय का निर्माण	69.60	––	69.60
17	सीतापुर	महमूदाबाद लहरपुर तथा खैराबाद में अवर जलाशय का निर्माण (द्वितीय चरण)	140.88	––	140.88
18	मुजफ्फर नगर	झिझाना एवं शामली में अवर जलाशय का निर्माण (द्वितीय चरण)	**94.63**	**40.00**	**54.63**
19	सन्त रविदास नगर (भदोही)	सन्त रविदास नगर में अवर जलाशय का निर्माण (द्वितीय चरण)	40.65	––	40.65
		योग–	2846.556	**480.00**	**2366.556**

(निर्गत धनराशि रूपये तेईस करोड़ छियासठ लाख पचपन हजार छः सौ मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनुसचिव

संख्या– 460का0/आठ–2–2011–70मा0का0यो0/11

प्रेषक,

मंजु चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रमाबाई नगर एवं औरैया, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 07 सितम्बर 2011**

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में निर्मित भवनों में सीलन रोकने के लिए रूफ ट्रीटमेन्ट (बिककोबा) हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में जनपद–रमाबाई नगर एवं औरैया में निर्मित भवनों में सीलन रोकने के लिए रूफ ट्रीटमेन्ट (बिककोबा) के कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से प्राप्त प्रायोजना प्रस्तावों में प्रस्तावित कुल लागत **रू0 116.83 लाख** के सापेक्ष आंकलित लागत की धनराशि **रू0 1,08,99,000/– (रूपये एक करोड आठ लाख निन्यानबे हजार मात्र)** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि को निम्नाकिंत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत् व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रूपये में)

जनपद	कार्य का नाम	पी.एफ.ए.डी. द्वारा मूल्याकिंत लागत	आवंटित धनराशि
रमाबाई नगर	1000 भवनों में रूफ ट्रीटमेन्ट (बिककोवा) का कार्य	**49.36** (2% कन्टीजेन्सी तथा 1% लेबरसेस सम्मलित)	**49.36**
औरैया	1500 भवनों के 94 ब्लाक की छतों में रूफ ट्रीटमेन्ट (बिककोवा) का कार्य	**59.63** (2%कन्टींजेन्सी तथा 1% लेबरसेस सम्मलित)	**59.63**
	योग		**108.99**

(निर्गत धनराशि रूपये एक करोड आठ लाख नियानबे हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था—उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का प्रत्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि से मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के प्रथम चरण में निर्मित भवनों में सीलन रोकने के लिए रूफ ट्रीटमेन्ट का कार्य प्राथमिकता पर कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल करके विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) निर्माण सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता मानकों के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित करने का पूर्णदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में उक्त कार्यों कीं अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी तथा वास्तविक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—2012 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—2 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनागत) —60—अन्य शहरी विकास योजनायें— 800—अन्य ब्यय— 03—मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना—35—पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या–ई–8–2393/दस–11 दिनांक 27 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव ।

संख्या– 460/10 (1)/आठ–2–2011–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– प्रमुख स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/कार्यक्रम कियान्वयन विभाग, उ0प्र.0 शासन।

4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

6– कोषाधिकारी, जनपद– रमाबाई नगर, औरैया उत्तर प्रदेश।

7– मण्डलायुक्त, कानपुर उत्तर प्रदेश।

8– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।

9– मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय (श्री जमील अख्तर) ।

10– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8

11– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ।

12– नियोजन अनुभाग–3एवं 4/आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव।